अनुक्रमणिका

भाग I

भारत में विदेशी निवेश- रूपरेखा निरूपण

खंड- I: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
2. भारत में निवेश हेतु प्रवेश मार्ग
3. भारत में निवेश के लिए पात्रता
4. लिखतों के प्रकार
5. कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश
6. भुगतान के प्रकार
7. विदेशी निवेश की सीमाएं, प्रतिबंधित क्षेत्र और मध्यम और लघु उद्यमों में निवेश
8. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजनाओं के अंतर्गत निवेश के प्रकार

8ए. कंपनी द्वारा नए शेयर जारी करना

8बी. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा मौजूदा शेयरों के अंतरण के मार्फत अर्जन

8सी. राइट्स/बोनस शेयर जारी करना

8डी. कर्मचारी स्टाक आप्शन योजना (इएसओपी) के मार्फत शेयर जारी करना

8ई. बाह्य वाणिज्यिक उधार/ एकमुश्त फीस/रायल्टी/पूंजीगत माल के विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा आयातों का ईक्विटी/आयात भुगतान/निर्गमन पूर्व व्यय में परिवर्तन

8एफ. एडीआर/जीडीआर के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयरों का निर्गम/को जारी करना

9. विदेशी मुद्रा खाता और एस्क्रो खाता
10. विलयन / समामेलन योजना के तहत शेयरों का अधिग्रहण /अर्जन
11. बिक्रीगत प्राप्तियों का विप्रेषण
12. कंपनियों के समापन / परिसमापन पर विप्रेषण
13. शेयरों को गिरवी रखना

खंड-II : विदेशी संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना के तहत निवेश

1. कंपनियां/इटिटीज़
2. सूचीबध्द भारतीय कंपनियों में निवेश
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों में खाते
4. एक्सचेज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाएं
5. विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति
6. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अधिबिक्री
7. विदेशी संस्थागत निवेशों के पास निजी नियोजन
8. निजी(प्राइवेट) प्रबंध के तहत पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत अर्जित/अधिग्रहीत शेयरों का अंतरण
9. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा निवेश की स्थिति पर निगरानी
10. सतर्कता सूची
11. रोक सूची

खण्ड- III- विदेशी उद्यम पूंजी निवेश (FVCI)

विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों द्वारा निवेश

खण्ड- IV-अन्य विदेशी निवेश

1. अनिवासी भारतीयों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद
2. भारतीय निक्षेपागार रसीद
3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद
4. बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निवेश
5. भारत में बैंकों द्वारा जारी टियर-I तथा टियर-II लिखतों में विदेशी निवेश

खण्ड- V खंड I और खंड II के अनुसार भारत में किए गए विदेशी निवेशों के संबंध में रिपोर्ट करने संबंधी दिशा-निर्देश

1. शेयरों के नए निर्गमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में रिपोर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना
2. शेयरों के अंतरण के मार्फत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग
3. बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन पर रिपोर्टिंग
4. कर्मचारी विकल्प योजना के तहत ईक्विटी शेयरों के आबंटन पर रिपोर्टिंग
5. एडीआर/जीडीआर इश्यू पर रिपोर्टिंग
6. संविभाग निवेश योजना के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश की रिपोर्टिंग
7. संविभाग निवेश योजना के तहत अनिवासी भारतियों द्वारा किए गए निवेश की रिपोर्टिंग

भाग II

साझेदारी फर्मों / प्रोप्राइटरी संस्थानों में निवेश

1. साझेदारी फर्मों / प्रोप्राइटरी संस्थानों में निवेश
2. प्रत्यावर्तन सुविधाओंवाले निवेश
3. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर अनिवासी द्वारा निवेश
4. निषेध

संलग्नक- -1

संलग्नक -2

संलग्नक -3

संलग्नक- 4

संलग्नक-5

संलग्नक-6

संलग्नक-7

संलग्नक-8

संलग्नक-9

संलग्नक-10

संलग्नक-11

संलग्नक-12

परिशिष्ट

भाग - I

भारत में विदेशी निवेश - संक्षिप्त निरूपण :

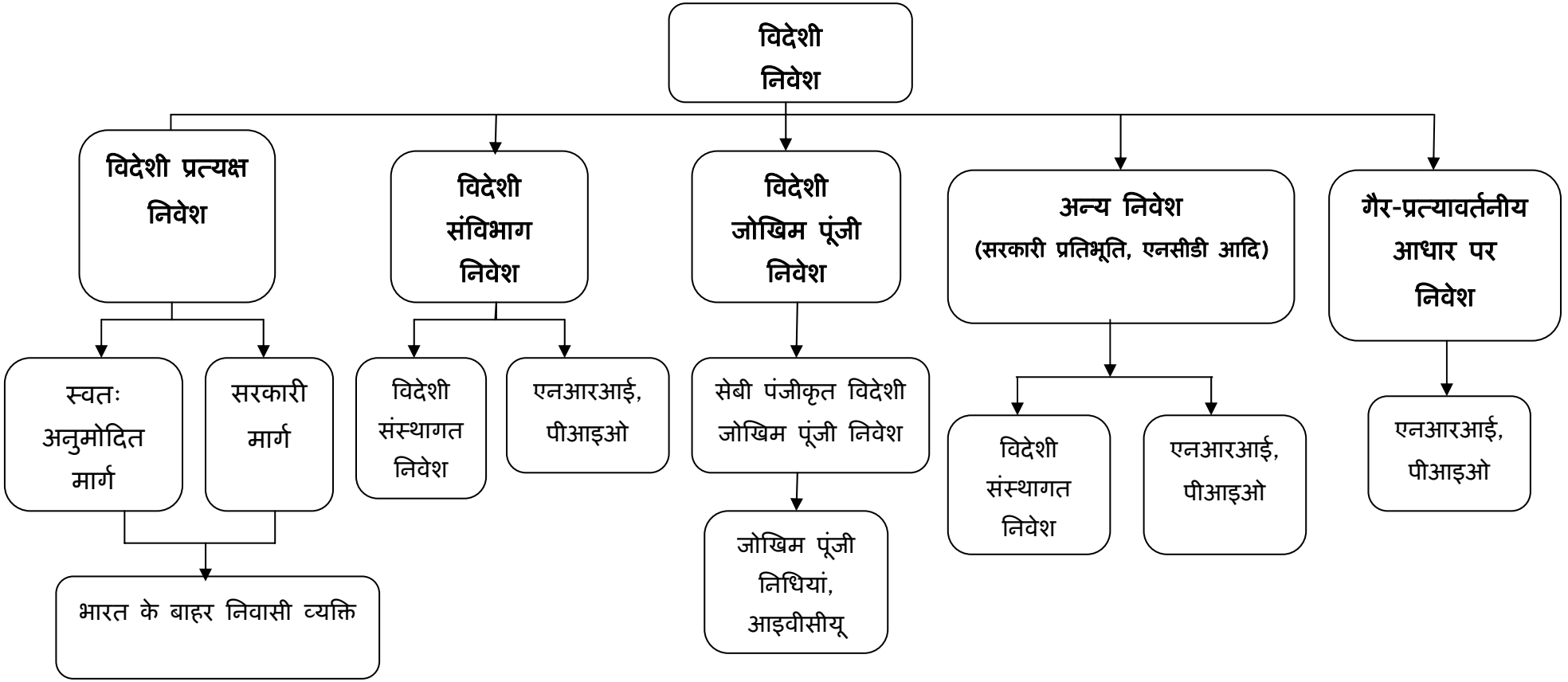

खंड-I: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :

भारत सरकार द्वारा निरुपित एवं घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार होता है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में वर्ष 2010 से प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च एवं 30 सितंबर को समाप्त छमाहियों के आधार पर भारत में समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति पर परिपत्र जारी करता है, जिसमें भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा प्रक्रिया को विस्तार से दिया जाता है । भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में नवीनतम परिपत्र 31 मार्च 2011 का है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की निम्नलिखित वेबसाइट http:// siadipp.nic.in/policy/fdi_circular/fdi_circular_1_2010.pdf. (सार्वजनिक डोमेन)पर उपलब्ध है और उसे वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। यह नीति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के उपबंधों से विनियमित होती है । विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत जारी विनियमावली में निवेशों के प्रकार/स्वरुप अर्थात् निधियों की प्राप्ति के तरीके, शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों और अधिमान शेयरों निर्गम या अर्जन करने,निधियों की प्राप्ति, कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों तथा निवेश के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपार्ट करने की प्रणाली विनिर्दिष्ट है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 20/2000-आरबी जारी की है, जिसमें इससे संबंधित विनियम दिए गए हैं। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया गया है।

2. भारत में निवेश के लिए प्रवेश मार्ग

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति योजना के अंतर्गत किसी अनिवासी द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों में, अनिवार्यत: एवं पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचरों में एवं अनिवार्यत: तथा पूर्णत: अधिमानी शेयरों[1] में निवेश निम्नलिखित दो मार्गों में से किए जा सकते है:

- **स्वत: अनुमोदित मार्ग:** स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत विदेशी निवेशक अथवा भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **सरकारी मार्ग**: सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेशक या भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)की पूर्वानुमति प्राप्त करनी अपेक्षित है ।

[1] इस मास्टर परिपत्र में शेयर का अर्थ ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर का अर्थ पूर्णत: और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर और अधिमानी शेयर का अर्थ पूर्णत: और अनिवार्य रूप से अधिमानी शेयर है (08 जून 2007 के एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73 और 74 देखें)

3. भारत में निवेश करने के लिए पात्रता

(i) भारत से बाहर के निवासी कोई व्यक्ति[1][2] (पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़कर) या भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी (पाकिस्तान में निगमित किसी कंपनी को छोड़कर) भारत सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अधीन भारत में निवेश कर सकता है। कोई व्यक्ति जो कि बांगलादेश का नागरिक हो अथवा कोई संस्था जो कि बांगलादेश में निगमित हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति से भारत में निवेश कर सकता है ।

(ii) नेपाल और भूटान में निवासी अनिवासी भारतीयों और नेपाल और भूटान के नागरिकों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश करने की अनुमति है बशर्ते ऐसे निवेशों की प्रतिफल राशि का भुगतान **मुक्त विदेशी मुद्रा** में आवक प्रेषणों के तौर पर सामान्य बैंकिंग चैनल अथवा अनिवासी भारतीयों के अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते के माध्यम से किया जाएगा।

---

[2]" भारत में निवासी व्यक्ति" का अर्थ- [फेमा की धारा 2 (v) के अनुसार]

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिनों से अधिक दिन भारत में निवास करनेवाला व्यक्ति है लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं-

(ए) एक व्यक्ति जो भारत से बाहर गया है अथवा भारत के बाहर रहता है, किसी भी एक मामले में
- (ए) भारत से बाहर रोजगार के लिए अथवा रोजगार करने के लिए, अथवा
- (बी) भारत से बाहर कारोबार चलाने अथवा भारत से बाहर व्यवसाय(vocation) करने, अथवा
- (सी) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो भारत से बाहर अनिश्चित समय के लिए रहने का उनका उद्देश्य दर्शाता हो;

(बी) भारत में आये या रहनेवाले किसी व्यक्ति, किसी भी एक मामले में, निम्नलिखित को छोड़कर
- (ए) भारत में रोजगार के लिए अथवा रोजगार करने के लिए, अथवा
- (बी) भारत में कारोबार करने अथवा भारत में व्यवसाय करने, अथवा
- (सी) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो भारत में अनिश्चित समय के लिए रहने के उनके उद्देश्य को दर्शाता हो;
- (ii) भारत में पंजीकृत अथवा निगमित कोई व्यक्ति अथवा निगमित निकाय,
- iii) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के मालियत अथवा नियंत्रण में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी,
- (iv) भारत में निवासी व्यक्ति के मालियत अथवा नियंत्रण में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी;

- " भारत के बाहर निवासी व्यक्ति " का अर्थ भारत में निवास न करनेवाला व्यक्ति है;[फेमा की धारा 2(w) के अनुसार]

(iii) समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) की निवेशकों के वर्ग के रूप में मान्यता 16 सितंबर 2003 से समाप्त कर दी गई है। पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय, जो भारत के बाहर निगमित हो गए हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिकूल नोटिस के अंतर्गत नहीं है उन्हें निगमित अनिवासी कंपनियों (इंटिटीज़) के रुप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत यदि निवेश सरकारी मार्ग के तहत है तो भारत सरकार और यदि स्वत: मार्ग के

तहत है तो भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से भारत में नये निवेश करने की अनुमति है। तथापि, पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी)को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने से पूर्व अपने प्राधिकृत व्यापारी बैंक के मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक से एक मुश्त प्रमाणपत्र लेना चाहिए कि उसका नाम भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिकूल सूची में नहीं है ।

प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि समुद्रपारीय निगमित निकाय (ओसीबी) 16 सितंबर 2003 के ए.पी.(डीइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14 में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप अनिवासी सामान्य चालू खाते (NRO A/c) के अतिरिक्त कोई अन्य खाता न रख सकें । इसके अलावा यह निवासी सामान्य खाता भारत में नए निवेशों के लिए इस्तेमाल न किया जाए । अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए पिछले निवेशों को समाप्त (नकद) करने के लिए अनिवासी सामान्य चालू खाते खोलने संबंधी नए आवेदन प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को अग्रसारित किए जाएं। हालांकि प्राधिकृत व्यापारी भारतीय रिज़र्व बैंक कि प्रतिकूल सूची में शामिल समुद्रपारीय निगमित निकायों के लिए रखे गए अन्य श्रेणी के खातों (एनआरई/एपसीएन्र/एनआरओ) को बंद न करें । प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा ये खाते निष्क्रिय (फ्रोजेन) स्थिति में बनाए रखे जाने हैं ।

4. **लिखतों के प्रकार**

(i) भारतीय कंपनियां फेमा विनियमावली के तहत, कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों/ निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों और अन्य अपेक्षाओं में रिपोर्टिंग अपेक्षा की शर्तों के अधीन ईक्विटी शेयरों/ पूर्णत: व अनिवार्यत: परिवर्तनीय डिबेंचरों और पूर्णत: व अनिवार्यत: अधिमानी शेयरों का निर्गम कर सकती हैं।

(ii) अन्य प्रकार निर्गम जैसे कि अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय शेयरों को बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए लागू दिशा-निर्देशों की भाँति ही जारी करना है।

(iii) जहाँ तक डिबेंचर्स का प्रश्न है , जो एक विशिष्ट अवधि के भीतर पूर्णतया और अनिवार्य रूप से ईक्विटी में परिवर्तनीय हैं , विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन ईक्विटी के भाग के रूप में माना जाएगा।

5. कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश[3]

- **नए शेयर जारी करना:** भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत जारी नए शेयरों की कीमत निम्नवत होगी :
  - सूचीबध्द कंपनियों के मामले में सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
  - सेबी के पास रजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर या गैर-सूचीबध्द कंपनियों के मामले में सनदी लेखाकार द्वारा बट्टाकृत मुक्त नकदी प्रवाह प्रणाली (DCF) के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य से शेयर की कीमत कम नहीं होगी ।

शेयरों के कीमत निर्धारण संबंधी उल्लिखित दिशा-निर्देश तकनीकी जानकारी के शुल्क (फीस) के रूप में एकमुश्त भुगतान/रायल्टी या बाह्य वाणिज्यिक उधार को ईक्विटी में बदलने या निगमन पूर्व व्यय/आयात भुगतानों के पूँजीकरण (भारत सरकार की पूर्वानुमति के तहत) के संबंध में जारी शेयरों

[3] 7अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं.फेमा 205/2010-आरबी के अनुसार

की कीमत निर्धारण पर भी लागू होंगे ।

- **अधिमानी आबंटन:** अधिमानी आबंटन के तहत शेयर जारी करने के मामले में शेयरों की कीमत निवासी व्यक्तियों के शेयरों को अनिवासी व्यक्ति को अंतरित करने के लिए लागू कीमत से कम नहीं होगी ।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड़) द्वारा पूंजीगत माल के आयात के बदले शेयर जारी करना:** इस मामले में शेयरों की कीमत एक समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जो विकास आयुक्त और जो उचित स्तर के सीमाशुल्क अधिकारियों के शामिल होने से बनेगी ।
- **राइट शेयर:** भारतीय कंपनी द्वारा अनिवासी शेयरधारकों को राइट आधार पर शेयरों की कीमत का प्रस्ताव निम्नवत होगा;
  i) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में **सूचीबध्द** कंपनी के शेयरों के मामले में कंपनी द्वारा निर्धारित कीमत पर ऐसे शेयर प्रस्ताव किए जाएंगे ।
  ii) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में **गैरसूचीबध्द** कंपनी के ऐसे शेयर निवासी शेयरधारकों को प्रस्तावित कीमत से कम कीमत पर नहीं दिये जाएंगे ।
- **मौजूदा शेयरों (निजी प्रबंध के तहत) का अर्जन[4]/अंतरण**: निवासियों से अनिवासियों (अर्थात् पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय, विदेशी राष्ट्रिक, अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक से भिन्न) को मौजूदा शेयरों का अर्जन निम्नवत होगा;

  (ए) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबध्द कंपनियों के शेयरों की समझौतेगत कीमत उस कीमत से कम नहीं होगी जो सेबी के लागू दिशा-निर्देशों के तहत शेयरों के अधिमानी आबंटन की कीमत है बशर्ते वह उस अवधि के लिए हो जैसाकि तत्संबंध में संबंधित तारीख से पूर्व की तारीख के लिए हो जो शेयरों की खरीद या बिक्री की तारीख से पूर्व की तारीख हो सकती है। प्रति शेयर आकलित कीमत सेबी के पास रजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर या किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित की गयी हो ।

  (बी) भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में गैर सूचीबध्द कंपनियों के शेयरों की कीमत होगी जो सेबी रजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर द्वारा निर्धारित उचित मूल्य या किसी सनदी लेखाकार द्वारा बट्टाकृत मुक्त नकदी प्रवाह (DCF) प्रणाली के मार्फत आकलित कीमत से कम नहीं होगी ।

इसके अलावा अनिवासी (अर्थात निगमित अनिवासी कंपनी (इंटिटी), पूर्वर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय, विदेशी राष्ट्रिक, अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा किसी निवासी व्यक्ति को मौजूदा शेयरों के अंतरण की कीमत किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किसी अनिवासी, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, को शेयरों के अंतरण करने की न्यूनतम कीमत से अधिक नहीं होगी ।

- शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ अधिमानी शेयरों की कीमत लिखतों का निर्गम करने से पूर्व निर्धारित की जानी चाहिए । परिवर्तनीय लिखतों की कीमत भी परिवर्तन करने के सिध्दांतों (फार्मूले) के आधार पर

---

[4] 4 मई 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49

[5] 2 मई 2011 का ए.पी.डीआइआर सिरीज़ परिपत्र सं.58 देखें, जिसमें सूचित किया गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेनों को सुगम बनाने के लिए उल्लिखित परिपत्र में दी गयी शर्तों के तहत प्रतिफल राशि की प्राप्ति के लिए एस्क्रो खाते का भी उपयोग किया जा सकता है ।एस्क्रो खाता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक या सेबी द्वारा प्राधिकृत डिपाजिटरी सहभागी के पास रखा जा सकता है । इस परिपत्र में जारी दिशा-निर्देश नए शेयरों के साथ-साथ मौजूदा शेयरो के अंतरण पर लागू होंगे ।

पहले से निर्धारित/निश्चित की जानी चाहिए। तथापि, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की मौजूदा विनियमावली के अनुसार परिवर्तन के समय इनकी कीमत उनके जारी होने के समय आकलित उचित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए ।

6. भुगतान का तरीका

किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत से बाहर के किसी निवासी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने के प्रतिफल स्वरूप ऐसे शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की राशि निम्नवत प्राप्त की जाएगी :

(i) आवक विप्रेषण सामान्य बैंकिंग चैनल ।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के साथ रखे गये किसी व्यक्ति के एनआरई/एफसीएनआर खाते को नामे करके ।

(iii) भुगतान के लिए देय रायल्टी/एकमुश्त/तकनीकी जानकारी शुल्क का परिवर्तन या बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन को शेयर जारी करने के प्रतिफल स्वरूप प्राप्य राशि माना जाएगा ।

(iv) आयातगत भुगतान योग्य राशि के परिवर्तन/निगमन पूर्व व्यय/शेयरों के स्वाप को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के अधीन शेयरों को जारी होने पर प्रतिफल स्वरूप प्राप्य राशि माना जाएगा ।

(v) शेयरों की खरीद के प्रतिफल स्वरूप निवासियों अथवा अनिवासियों द्वारा भारत में भारतीय रुपये में रखे गये ब्याज रहित एस्क्रो खाते[5] के नामे करके भुगतान के लिए ।

यदि आवक प्रेषण की प्राप्ति या एनआरई/एफसीएनआर(बी)/एस्क्रो खाते को डेबिट करने की तारिख से 180 दिनों के भीतर शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं कर दिये जाते हैं, तो प्राप्त प्रतिफल राशि लौटा दी जाएगी । इसके अलावा यदि प्रतिभूति जारी करने के लिए प्राप्त प्रतिफल राशि 180 दिनों से अधिक के लिए बकाया रहती है तो आवेदन करके और पर्याप्त कारणों के होने पर रिज़र्व बैंक भारतीय कंपनी को प्रतिफल राशि लौटाने/के बदले शेयर आबंटित करने की अनुमति दे सकता है ।

7. देशी निवेश संबंधी सीमाएं, प्रतिबंधित क्षेत्र एवं मध्यम तथा लघु उद्यमों में निवेश

ए) विदेशी निवेश संबंधी सीमा

किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश के लिए लागू प्रवेश मार्ग और अनुमत अधिकतम सीमा/क्षेत्रगत सीमा (सेक्टोरल कैप) का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि अमुक कंपनी किस क्षेत्र में कार्यरत है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए विदेशी मुद्रा के प्रवेश मार्ग के साथ ही साथ क्षेत्रगत सीमा संलग्नक 1 में दी गई है ।

बी) लघु उद्यमों (एमएसई) में निवेश

किसी कंपनी की गणना निर्यातोन्मुख इकाई अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा निर्यात प्रोसेसिंग जोन की अथवा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की इकाई कंपनियों सहित लघु, छोटे तथा मझोले उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु तथा मझौले उद्यमों (पहले लघु उद्योग इकाई) के रूप में की जाती है और जो संलग्नक 2 में उल्लिखित किसी कार्यकलाप/क्षेत्र में कार्यरत नहीं है, वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये अनुसार प्रवेश मार्ग तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के प्रावधानों के

अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन भारत के बाहर निवासी व्यक्ति (अनुमोदन मार्ग के तहत पाकिस्तान के निवासी तथा बांगलादेश के निवासी को छोड़कर) को शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला अथवा बिना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला कोई औद्योगिक उपक्रम जो कि लघु तथा छोटा उद्यम नहीं है और जिनके पास लघु तथा छोटे उद्यम द्वारा विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों हेतु विनिर्माण करने के लिए औद्योगिक (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस है वह अपनी प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक या क्षेत्रीय सीमा, में से जो भी कम हो, के शेयर भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के तहत पाकिस्तान के निवासी/इंटिटी तथा बांगलादेश के निवासी/इंटिटी को छोड़कर) को जारी कर सकता है। प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक के शेयर जारी करने के लिए भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा तथा वह ऐसे अनुमोदन की शर्तों के अनुपालनाधीन होगा।

सी) भारत में निवेश पर प्रतिबंध

(i) निम्नलिखित कार्यकलाप करनेवाली या करने का इरादा रखनेवाली किसी कंपनी अथवा साझेदारी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा किसी कंपनी चाहे वह निगमित हो या नहीं (जैसे कि ट्रस्ट), में **किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश** पर निषेध है5[6] :

(ए) चिट फंड के कारोबार, अथवा

(बी) निधि कंपनी, अथवा

(सी) कृषि अथवा बागान कार्यकलापों, अथवा

(डी) स्थावर संपदा कारोबार अथवा फार्म हाउस का निर्माण, अथवा

(ई) अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआर) के व्यापार में ।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि "स्थावर संपदा कारोबार" का अर्थ भूमि एवं अचल संपत्ति के ऐसे सौदे करने से है जिसका अभिप्राय लाभ या आय का अर्जन करना हो किंतु जिसमें टाऊनशिप का विकास, रिहायशी/ वाणिज्यिक परिसर, सड़क अथवा पुल, शैक्षणिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर तथा स्थानीय (रीजनल) स्तर की बुनियादी सुविधाएं , टाउनशिप का विनिर्माण शामिल नहीं है।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फेमा विनियमों के अनुसार निवेशवाली भागीदारी फर्मों/ स्वामित्व प्रतिष्ठानों को प्रिंट मीडिया क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

(iii) उपर्युक्त के अलावा, कतिपय क्षेत्रों में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में** निवेश निषिद्ध है, जैसे (संलग्नक-2)[7]

(ए) खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार को छोड़कर)

(बी) परमाणु ऊर्जा

(सी) सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार

(डी) केसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी, आदि

(ई) चिट फंड का कारोबार

(एफ) निधि कंपनी

(जी) अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकार का कारोबार (TDRs)

(एच) निजी क्षेत्र में निवेश के लिए न खोली गयी गतिविधियां / क्षेत्र

(आई) कृषि, (पुष्पखेती, बागबानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मछली पालन और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रित परिस्थितियों और सेवाओं के अधीन सब्जी, मशरूम आदि की खेती **को छोड़कर)** और बाग़ान **(चाय बाग़ान को छोड़कर)**

(जे) तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार, चीरूट, सिगारिलो और सिगरेट का निर्माण ।

टिप्पणी:

1. किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश के अलावा विशेष विक्रय अधिकार, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम प्रबंध करार के लिए लाइसेंस सहित किसी भी प्रकार का विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग भी लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्य के लिए पूर्णत: निषिद्ध हैं।
2. घरेलू जोखिम निवेश पूंजी में सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम निवेश पूंजी द्वारा किये जाने वाले निवेश को छोड़कर ट्रस्टों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

8.प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने के तरीके

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है :

8.ए. कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों में

भारतीय कंपनी मौजूदा विदेशी निवेश नीति तथा फेमा विनियम के अधीन भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति (जो भारत में निवेश करने के लिए पात्र है) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत नए शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है ।

8.बी. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा मौजूदा शेयरों के अंतरण के मार्फत अर्जन/अभिग्रहण

8.बी.। विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के निवासी शेयरधारकों या अन्य अनिवासी शेयरधारकों से मौजूदा शेयरों की खरीद/के अर्जन के मार्फत भी निवेश कर सकते हैं । अनिवासी व्यक्तियों/अनिवासी भारतीयों के अंतरण के मार्फत शेयरों का निम्नवत अर्जन करने की आम अनुमति दी गयी है :

ए. **अनिवासी द्वारा अनिवासी को (शेयरों की बिक्री / उपहार):** भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति (अनिवासी भारतीय और समुद्रपारीय निगमित निकाय को छोडकर) भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति (अनिवासी भारतीय सहित) को बिक्री अथवा उपहार के तौर पर शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर का अंतरण कर सकता है।

बी. **अनिवासी भारतीय द्वारा अनिवासी भारतीय को (शेयरों की बिक्री/ उपहार):** अनिवासी भारतीय व्यक्ति अपने पास धारित शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर बिक्री अथवा उपहार के तौर पर दूसरे अनिवासी भारतीय को अंतरित कर सकते हैं।

सी.अनिवासी से निवासी को

ए. उपहार: भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति भारत में निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर किसी भी प्रतिभूति का अंतरण कर सकता है।

बी. बिक्री: संलग्नक -3 में दिए गए कीमत निर्धारण, रिपोर्टिंग तथा अन्य दिशा-निर्देशों के अधीन भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को भी बिक्री के तौर पर निजी व्यवस्था के तहत भारत में निवासी व्यक्ति को शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर अंतरित करने की सामान्य अनुमति है।

डी. **निवासी द्वारा अनिवासी को (शेयरों की बिक्री):** भारत में निवासी व्यक्ति, संलग्नक -3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अधीन वित्तीय सेवा क्षेत्र (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बीमा,

एआरसी, सीआईसी और सेक्यूरिटी मार्केट में मूलभूत सेवाएं प्रदान करनेवाले जैसे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, निक्षेपागार और पण्य मंडियां आदि) को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों (प्रयोजक के शेयरों के अंतरण सहित) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को निजी आयोजन के तहत बिक्री के तौर पर अंतरित कर सकता है।हालांकि, किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किसी अनिवासी व्यक्ति/भारतीय को शेयरों/डिबेंचरों को उपहार के तौर पर अंतरित करने की सामान्य अनुमति नहीं है ।

ई. स्टॉक एक्सचेंज में अनिवासी द्वारा शेयरों की बिक्री: भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत किसी ब्रोकर अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर के माध्यम से भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर बेच सकता है।

एफ. उपर्युक्त सामान्य अनुमति, पहले सरकारी मार्ग से कवर किए गए किन्तु अब स्वतः अनुमोदित के तहत आनेवाले कार्यकलाप में लगी हुई भारतीय कंपनी के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को निवासियों से अनिवासी को अंतरित करने तथा कंपनी के बाय-बैक और/ अथवा पूंजी कम करने की योजना के तहत किसी भारतीय कंपनी को अनिवासी द्वारा शेयरों के अंतरण के लिए भी उपलब्ध है। तथापि, यह सामान्य अनुमति पैरा 8.बी.॥ में उल्लिखित शेयरों के लेनदेन संबंधी अंतरण तथा उक्त सभी लेनदेनों, जो कीमत निर्धारण मानकों को पूरा नहीं करते हैं, के मामले में उपलब्ध नहीं है।

जी. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों को निवासियों एवं अनिवासियों की ओर से बिना ब्याज के भारतीय रुपये में एस्क्रो खाते खोलने तथा बनाए रखने की सामान्य अनुमति दी गयी है ताकि शेयर खरीद प्रतिफल के भुगतान और / या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिभूतियों को रखने हेतु एस्क्रो खाते उपलब्ध हो सकें । यह भी निर्णय लिया गया है कि सेबी द्वारा प्राधिकृत डिपॉजिटरी सहभागी, रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना, पैरा 9 (बी) में वर्णित प्रतिभूतियों के लिए एस्क्रो खाते खोले एवं बनाए रख सकें ।

एच. रिपोर्टिंग संबंधी दिशा-निर्देश मास्टर परिपत्र के खंड V में दिए गए हैं ।

8.बी.॥. प्रतिभूति के अर्जन/अंतरण के कतिपय मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति

(i) निवासियों से अनिवासियों को बिक्री के तौर पर शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण के निम्नलिखित मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है :

(ए) वित्तीय क्षेत्र (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, सीआईसी, बीमा और प्रतिभूति बाजार में बुनियादी सुविधा प्रदाता जैसे कि स्टॉक एक्स्चेंज, क्लियरिंग कार्पोरेशन, डिपॉजिटरीज़ और मंडियों आदि)

में कार्यरत भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण ।

(बी) सेबी (सब्स्टैन्शियल एक्विसिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) विनियमावली, 1997 के प्रावधानों के दायरे में आनेवाले लेनदेन ।

(सी) किसी भारतीय कंपनी का कार्यकलाप जिसकी प्रतिभूतियां अंतरित की जा रही है और जो स्वत: अनुमोदित मार्ग के दायरे में नहीं आती हैं और उपर्युक्त अंतरण हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है ।

(डी) जब अंतरण उस मूल्य पर किया जा रहा हो जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के दायरे के बाहर हो ।

(ई) शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण जहां पर कि अनिवासी अर्जक प्रतिफल की राशि का भुगतान स्थगित रखने का प्रस्ताव देता है, वहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त, यदि लेनदेन के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो, उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक को विधिवत् प्रमाणित फॉर्म एफसी-टीआरएस में प्रतिफल की पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट किया जाए ।

(ii) निवासियों से अनिवासियों को बिक्री द्वारा अथवा अन्यथा शेयरों के अंतरण के निम्नलिखित मामलों में सरकार के अनुमोदन और उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति अपेक्षित है :

ए. सरकारी मार्ग के तहत आने वाले क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के शेयरों का अंतरण ।

बी. लागू सेक्टोरेल सीमाओं का उल्लंघन करते हुए शेयरों का अंतरण जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश होता हो ।

(iii) भारत में निवासी व्यक्ति, जो किसी प्रतिभूति को उपहार के तौर पर भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति को अंतरित करना चाहता है, रिज़र्व बैंक[8] की पूर्व अनुमति प्राप्त करें । शेयरों को उपहार के तौर पर अंतरण की अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन भेजते समय संलग्नक-4 में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किये जाएं । भारतीय रिज़र्व बैंक आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का विचार करता है:

ए) प्रस्तावित अंतरिती, समय समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000- आरबी की अनुसूची 1,4 और 5 के तहत ऐसी प्रतिभूति धारित करने के लिए पात्र है ।

बी) उपहार भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी / डिबेंचर की प्रत्येक सिरिज़/प्रत्येक म्युच्युअल फंड योजना के 5 प्रतिशत से अधिक न हो ।

सी) भारतीय कंपनी में लागू सेक्टोरेल सीमा (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा) का

उल्लंघन नहीं किया गया है ।

डी) अंतरणकर्ता (दाता) और प्रस्तावित अंतरिती(आदाता) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित निकट संबंधी हैं । मौजूदा (चालू) सूची संलग्नक 5 में पुनः प्रस्तुत की गयी है।

ई) भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर अंतरणकर्ता द्वारा पहले से ही अंतरित किसी प्रतिभूति को जोड़कर अंतरण की जानेवाली प्रतिभूति का मूल्य एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान 25,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य रूपये से अधिक न हो ।

एफ) लोक हित में समय समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य शर्तें ।

(iv) अनिवासी भारतीय से अनिवासी को अथवा अनिवासी से अनिवासी भारतीय को शेयरों के अंतरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है ।

8.सी. राइट/बोनस शेयरों का निर्गम

सैक्टोरल कैप और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, आदि के अनुपालन के अधीन भारतीय कंपनी वर्तमान अनिवासी शेयर धारकों को स्वत्वाधिकार (राइट)/ बोनस शेयर मुक्त रूप से जारी कर सकती है । इसके अलावा, बोनस/ स्वत्वाधिकार (राइट) शेयरों के ऐसे निर्गम कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी, (पूंजी निर्गम और डिस्क्लोशर रिक्वार्यमेंट) रेगुलेशन्स, 2009 आदि जैसे अन्य कानून/ अधिनियम के अनुसार होने चाहिए। भारतीय कंपनी द्वारा अनिवासी शेयरधारकों को अधिकार आधार पर प्रस्तावित शेयरों का मूल्य इस प्रकार होगा:

- **समुद्रपारीय निगमित निकायों को स्वत्वाधिकार के निर्गम**:समुद्रपारीय निगमित निकायों की निवेशकों की एक श्रेणी के रूप में मान्यता को 16 सितंबर 2003 से हटा लिया गया है। अतः ऐसे पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों को स्वत्वाधिकारी शेयर जारी करने के इच्छुक कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक[8][9] से विशिष्ट पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।अतः समुद्रपारीय निगमित निकायों को स्वत्वाधिकारी शेयरों का हक़ स्वतः उपलब्ध नहीं है। तथापि, पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों (जो रिज़र्व बैंक की प्रतिकूल सूची में न हों) को भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं बशर्ते ये निकाय रिज़र्व बैंक की प्रतिकूल सूची में न हों ।
- **निवासियों द्वारा अनिवासियों को अतिरिक्त शेयर स्वत्वाधिकार आबंटित(नियत) करना**

  वर्तमान अनिवासी शेयरधारकों को अपने राइट शेयरों की पात्रता के अलावा अतिरिक्त शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ अधिमानी शेयरों को जारी करने के लिए आवेदन करने की अनुमति है। निवेशिती कंपनी अभिदान न दिए गए (अन्सस्क्राइब्ड) शेयरों में से अतिरिक्त स्वत्वाधिकार शेयर आबंटित कर सकती है, बशर्ते कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी में से अनिवासी को जारी समग्र शेयर क्षेत्रीय सीमा (सेक्टोरल कैप) से अधिक न हों।

8.डी. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के अंतर्गत शेयर जारी करना

भारतीय कंपनी ईएसओपीएस के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को या विदेश स्थित अपने संयुक्त उद्यम या पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के कर्मचारियों को, जो पाकिस्तानी नागरिक से इतर हो, शेयर जारी कर सकती है।बांगला देश के नागरिक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति से इसमें निवेश कर सकते हैं । योजना के अंतर्गत अनिवासी कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले शेयरों के अंकित मूल्य जारीकर्ता कंपनी की प्रदत्त पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक न हो । ईएसओपी के अंतर्गत शेयर सीधे ही या किसी न्यास के जरिए जारी किए जा सकते हैं बशर्ते योजना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विनियमों के अनुसार बनाई गयी हो ।

8.ई. विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार/एकमुश्त शुल्क/रॉयल्टी/ पूँजीगत माल आयात की राशि का आयात देयताओं (भुगतानों)/निगमनपूर्व व्यय में परिवर्तन

(I) भारतीय कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार / परिवर्तनीय डिबेंचरों में परिवर्तन करने की सामान्य अनुमति दी गई है:

(ए) कंपनी के कार्यकलाप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत कवर किए गए हैं अथवा कंपनी में विदेशी ईक्विटी के लिए कंपनी ने सरकारी अनुमोदन प्राप्त किया है;

(बी)बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन करने के बाद विदेशी ईक्विटी, सेक्टोरल सीमा, यदि कोई हो, के अंदर है;

(सी)शेयरों का मूल्य निर्धारण, सूचीबद्ध कंपनियों के मामलों में सेबी विनियमावली अथवा असूचीबद्ध कंपनियों के मामलों में डीसीएफ पद्धत्ति के अनुसार है;

(डी)लागू किसी अन्य कानून अथवा विनियम के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन;

(ई)यह परिवर्तन सुविधा, स्वतः अनुमोदित अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए उपलब्ध है। यह बाह्य वाणिज्यिक उधार, चाहे वे भुगतान के लिए देय हो या न हो, और अनिवासी सहयोगी संस्थाओं से लिए गए सुरक्षित/ असुरक्षित ऋणों के लिए भी लागू होगी।

(ii)स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा एसआइए/ एफआइपीबी मार्ग के तहत एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क, रॉयल्टी पर शेयर/ अधिमानी शेयर के निर्गम के लिए भी सामान्य अनुमति उपलब्ध है, बशर्ते इस बाबत भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों और लागू कर संबंधी कानूनों का अनुपालन किया गया हो।

(iii)विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को पूंजी माल के आयात पर अनिवासियों को ईक्विटी शेयर के निर्गम की अनुमति है, बशर्ते मूल्यांकन ऐसी समिति द्वारा किया जाए जिसमें डेवलेप्मेंट कमीशनर और उचित सीमा शुल्क अधिकारी शामिल हों।

(iv) पूँजीगत माल /मशीनरी/उपकरण(पुरानी मशीनरी सहित) के बदले ईक्विटी शेयर सरकारी मार्ग के तहत निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन जारी किये जा सकते हैं:

(ए) भारत में निवासी व्यक्ति पूँजीगत माल, मशीनरी का आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित भारत सरकार की निर्यात/आयात नीति एवं फेमा, 1999 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आयात संबंधी विनियमावली के तहत कर सकता है।

(बी) पूँजीगत माल/मशीनरी/उपकरणों (पुरानी मशीनरी सहित) का मूल्यन किसी तीसरी इंटिटी, अधिमानत: आयातित देश के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए और उसके साथ ऐसे आयात के उचित मूल्य के आँकने के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियाँ भी संलग्न की जानी चाहिए ।

(सी) आवेदन पत्र में हिताधिकारी स्वामित्व तथा आयातक कंपनी की पहचान के साथ समुद्रपारीय इंटिटी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए; और

(डी) पूँजीगत माल के लिए किए जाने वाले आयात भुगतान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में परिवर्तन की समस्त प्रक्रिया माल के शिपमेंट की तारीख से 180 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाना चाहिए ।

(v)परिचालन पूर्व/ निगमन पूर्व व्यय (किराये आदि सहित) के बदले ईक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति सरकारी मार्ग के तहत, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन है:

ए) किए गए व्यय के लिए समुद्रपारीय प्रवर्तक (प्रोमोटर) द्वारा निधियों के विप्रेषण के लिए एफआइआरसी प्रस्तुत करना ।

बी) निगमन पूर्व/परिचालन पूर्व व्यय को सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित करना ।

सी) विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी को सीधे भुगतान करना । बैंक खाता न होने की बात अथवा इसी प्रकार के अन्य कारणों का उल्लेख करके तीसरे पक्ष के मार्फत भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी ।

डी) मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत ईक्विटी जारी करने के प्रति अग्रिम रोक कर रखने की 180 दिनों की अवधि में पूँजीकरण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए ।

(vi) शेयरों के स्वाप[10] अर्थात प्रतिफल जिसे समुद्रपारीय कंपनी के अर्जित शेयरों के लिए भुगतान किया जाना है, के बदले अनिवासियों को शेयर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुमति के तहत जारी किए जा सकते हैं ।

(vii) रिपोर्टिंग दिशा-निर्देश मास्टर परिपत्र के खंड v में दिए गए है ।

8.एफ. एडीआर/जीडीआर के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयरों का निर्गम

डिपाजिटरी रसीदें ,भारतीय कंपनी की ओर से किसी डिपाजिटरी बैंक द्वारा भारत के बाहर जारी परक्राम्य प्रतिभूति हैं जो भारत में कस्टोडियन बैंक द्वारा अमानत के तौर पर धारित कंपनी के स्थानीय रुपया मूल्यवर्ग के ईक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अमरीका, सिंगापुर, लक्ज़म्बर्ग, लंदन आदि देशों के स्टॉक एक्सचेंजों में डिपाजिटरी रसीदों के लेनदेन किए जाते हैं। अमरीकी बाज़ारों में सूचीबद्ध और खरीदी-बेची जानेवाली डिपाजिटरी रसीदें अमेरिकन

डिपाजिटरी रसीदें (एडीआर) कही जाती हैं और अन्य देशों में सूचीबद्ध और खरीदी-बेची जानेवाली डिपाजिटरी रसीदें ग्लोबल डिपाजिटरी रसीदें (जीडीआर) कही जाती हैं। भारत में डिपाजिटरी रसीदों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है।

i) भारतीय कंपनियां, विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बांडों और सामान्य शेयरों के निर्गम (डिपाजिटरी रसीद मेकनिज़म के माध्यम से) योजना, 1993 और समय-समय पर उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में एडीआर/ जीडीआर के निर्गम के माध्यम से विदेश में विदेशी मुद्रा संसाधन जुटा (उगाह) सकती हैं।

ii) कंपनी एडीआर/ जीडीआर जारी कर सकती है अगर वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने के लिए पात्र है। तथापि, ऐसी कंपनी जिसके प्रतिभूति के बाजार में पहुंच पर सेबी ने रोक लगाई है, सहित एक भारतीय सूचीबद्ध कपनी जो भारतीय पूंजी बाज़ार से निधि उगाहने के लिए पात्र नहीं है, एडीआर/ जीडीआर जारी करने के लिए पात्र नहीं होगी।

iii) ऐसे समुद्रपारीय लिखतों के निर्गम करने की इच्छुक असूचीबद्ध कंपनियों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पूंजी उगाहने के लिए अब तक एडीआर/ जीडीआर मार्ग का उपयोग नहीं किया है, घरेलू बाज़ार में पहले से या साथ-साथ सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है। असूचीबद्ध कंपनियों को, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पहले ही एडीआर/ जीडीआर जारी कर चुकी हैं, लाभ कमाने की शुरुआत पर अथवा ऐसे एडीआर/ जीआर के निर्गम के तीन वर्ष के अंदर, जो भी पहले हो, घरेलू बाज़ार में सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है।

iv) भारतीय कंपनी निर्गम के अग्रणी प्रबंधक से सलाह मशविरा कर निकाले गए अनुपात के आधार पर एडीआर/ जीडीआर जारी कर सकती है। इस तरह उगाहे गए प्राप्यों को उस समय तक विदेश में रखा जाए जब तक भारत में उनकी वास्तव में जरूरत न हो। प्राप्यों के प्रत्यावर्तन अथवा उपयोग तक भारतीय कंपनी निम्नलिखित में निधियों को निवेश कर सकती है :-

(ए) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर, फिच, आइबीसीए और मूडीज़, आदि द्वारा रेटिंग किए गए बैंकों द्वारा प्रस्तावित सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अथवा अन्य लिखतों के साथ प्रस्तावित जमा और ऐसी रेटिंग समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रेटिंग से कम न हो।

(बी) भारतीय प्राधिकृत व्यापारी की भारत के बाहर स्थित शाखा में जमा, और

(सी) एक वर्ष अथवा उससे कम की परिपक्वता अथवा असमाप्त परिपक्वता अवधिवाले खजाना बिल और अन्य मौद्रिक लिखतों में।

(v) ऐसी निधियों को स्थावर संपदा अथवा स्टॉक मार्केट में अभिनियोजन/निवेश पर निषेध से इतर अंतिम उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय कंपनी द्वारा एडीआर/जीडीआर से उगाही जाने वाली राशि के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं है।

(vi) एडीआर/जीडीआर की आय का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों के विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम चरण के अधिग्रहण साथ ही उनके अपेक्षित महत्व को देखते हुए जनता को अनिवार्य द्वितीय चरण प्रस्ताव में भी किया जा सकता है।

(vii) इस योजना के तहत जारी शेयरों पर मतदान के अधिकार कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार और ऐसे तरीके से होंगे जिसमें एडीआर/ जीडीआर निर्गमों पर लगाये गये मतदान अधिकार पर प्रतिबंध कंपनी कानून के प्रावधानों से संगत होंगे। बैंकिंग कंपनियों के मामले में मतदान अधिकार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों तथा मतदान अधिकार के प्रयोग करनेवाले सभी शेयरधारकों पर यथालागू भारतीय रिज़र्व बैंक10[11] द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जारी रहेगा।

(viii) पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकाय, जो भारत में निवेश के लिए पात्र नहीं हैं और सेबी द्वारा प्रतिभूति खरीदने, बेचने और उसमें कारोबार करने की मनाही वाली कंपनियां, भारतीय कंपनियों द्वारा जारी एडीआर/ जीआर में अभिदान के लिए पात्र नहीं होंगी।

(ix) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉंड और सामान्य शेयर (डिपोजिटरी रसीद मैकेनिज़म के जरिये) योजना, 1993 की निर्गम योजना के प्रावधानों और समय- समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अधीन निर्धारित कीमत पर प्रायोजित एडीआर/जीडीआर निर्गमों सहित एडीआर/जीडीआर का मूल्यांकन किया जायेगा।

(x) **द्विमार्गी विनिमेयता प्रणाली**

भारत सरकार ने एडीआर/ जीडीआर के लिए सीमित द्विमार्गी विनिमेयता प्रणाली शुरू की है। इस योजना के तहत सेबी में पंजीकृत भारतीय दलाल समुद्रपारीय निवेशक से प्राप्त अनुदेश के आधार पर एडीआर/ जीडीआर में परिवर्तन के लिए बाजार से भारतीय कंपनी के शेयर खरीद सकता है। एडीआर/ जीडीआर को पुनः जारी करने की अनुमति एडीआर/ जीडीआर की उस सीमा तक होगी जो घरेलू बाजार में निहित अंडरलाइंग शेयरों के रूप में भुनाया गया है और भारतीय बाज़ार में बेचा गया है।

(xi) **प्रायोजित एडीआर/ जीडीआर निर्गम**

भारतीय कंपनी एडीआर/ जीडीआर के निर्गम को प्रायोजित भी कर सकती है। इस प्रणाली के तहत, कंपनी अपने निवासी शेयरधारकों को इसका विकल्प देती है कि वे अपने शेयर कंपनी को वापस लौटा दें ताकि ऐसे शेयरों के आधार पर विदेश में एडीआर/जीडीआर जारी किए जा सकें। एडीआर/ जीडीआर जारी करने से प्राप्त राशि भारत में पुनः प्रेषित की जाती है और इसे उन निवासी निवेशकों में बांटा जाता है जिन्होंने रूपए में मूल्यवर्ग के अपने शेयर परिवर्तन हेतु दिए थे। इन प्राप्त राशियों को उन शेयरधारकों द्वारा जिन्होंने ऐसे शेयरों को एडीआर/ जीडीआर में परिवर्तन के लिए दिया था भारत में निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाते में रखा जा सकता है।

(xii) **एडीआर/जीडीआर के संबंध में रिपोर्टिंग दिशा-निर्देश मास्टर परिपत्र के खंड v में दिए गए हैं ।**

9. विदेशी मुद्रा खाता तथा एस्क्रो खाता

ए)प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयरों का निर्गम करने के लिए पात्र भारतीय कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के

पूर्वानुमोदन से विश्वसनीय कारोबारी प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा खाते में शेयरों की अभिदान की राशि रखने की अनुमति दी जाएगी ।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों को निवासियों एवं अनिवासियों की ओर से भिन्न ब्याज के भारतीय रूपये में एस्क्रो खाते खोलने तथा बनाये रखने की सामान्य अनुमति दी गयी है ताकि शेयर खरीद प्रतिफल के भुगतान और/या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिभूतियों को रखने हेतु एस्क्रो खाते उपलब्ध हो सकें । यह भी निर्णय लिया गया है कि सेबी द्वारा प्राधिकृत डिपॉजिटरी सहभागी, रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना, पैरा 9 (बी) में वर्णित प्रतिभूतियों के लिए एस्क्रो खाते खोल एवं बनाये रख सकेंगे । एस्क्रो खाते 2 मई 2011 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 58 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत होंगे । इसके अलावा एस्क्रो खाते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक या सेबी द्वारा प्राधिकृत डिपॉजिटरी सहभागी(प्रतिभूति खाते के मामले में) के पास रखे जा सकेंगे । ये सुविधाएं अनिवासियों को नए शेयर जारी करने के साथ-साथ अनिवासियों को शेयरों के अंतरण एवं अनिवासियों से/को शेयरों के अंतरण दोनों पर ही लागू होंगी ।

10. समामेलन/ विलयन योजना के अंतर्गत शेयरों का अभिग्रहण

भारत में कंपनियों का विलयन या समामेलन सामान्यतः, विलयन/ समामेलित हो रही कंपनियों द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर एक सक्षम कोर्ट के आदेश द्वारा नियंत्रित होते हैं। दो या अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन या समामेलन की योजना भारत में किसी कोर्ट द्वारा एक बार अनुमोदित किए जाने पर अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी, अंतरणकर्ता कंपनी के भारत से बाहर के निवासी शेयर होल्डरों को शेयर जारी कर सकती है बशर्ते :

(i) अंतरिती अथवा नई कंपनी में भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों की शेयरधारिता का प्रतिशत सेक्टोरल कैप से अनधिक हो,और

(ii) अंतरणकर्ता कंपनी या अंतरिती या नई कंपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (उपर्युक्त का पैरा 7(सी) देखें) में निषिद्ध कार्यकलाप में संलग्न नहीं हो।

11. बिक्रीगत आय का विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी– I बैंक भारत के बाहर के निवासी शेयर विक्रेता को किसी प्रतिभूति की बिक्रीगत आय के विप्रेषण (लागू करों के घटाकर) की अनुमति दे सकता है बशर्ते प्रतिभूति प्रत्यावर्तन आधार पर धारित की गई हो तथा प्रतिभूति की बिक्री निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई हो और आयकर विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र/ कर बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो।

12. कंपनियों के बंद होने/ परिसमापन पर विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति प्रदान की गई है कि वे भारत में परिसमापनाधीन कंपनियों, की परिसमापनगत -आय को लागू करों के भुगतान होने पर विप्रेषित करें। कंपनियों का परिसमापन कोर्ट द्वारा जारी किसी आदेश के अनुसरण में अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत स्वेच्छा से सरकारी परिसमापन के अधीन हो सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विप्रेषण की अनुमति दें बशर्ते कि आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

(i) विप्रेषण के लिए आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा आयकर बेबाकी प्रमाणपत्र।

(ii) लेखापरीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी द्वारा भारत में अपनी सभी देयताएं अदा कर दी गयी हैं अथवा उनके लिए पर्याप्त प्रावधान कर लिया गया है।

(iii) लेखा परीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि कंपनी का परिसमापन कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

कोर्ट के अलावा अन्य किसी प्रकार से कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, लेखापरीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि आवेदक अथवा परिसमापनाधीन कंपनी के विरुद्ध भारत में किसी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और विप्रेषण की अनुमति देने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

13. शेयर गिरवी रखना

ए) भारत में पंजीकृत किसी कंपनी (उधारकर्ता कंपनी) जिसने बाह्य वाणिज्यिक उगाह लिया है का प्रवर्तक होने के नाते कोई व्यक्ति वह उधारकर्ता कंपनी द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उधारकर्ता कंपनी अथवा उसकी सहयोगी निवासी कंपनी के शेयर गिरवी रख सकता है बशर्ते उसके लिए एक ऐसे बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया हो जो प्राधिकृत व्यापारी बैंक हो। प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि बाह्य वाणिज्यिक उधार बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए वर्तमान फेमा के विनियमों के अनुसार है, वह इस प्रकार की गिरवी रखने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और यह कि

i) ऋण करार पर उधारकर्ता तथा उधारदाता, दोनों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों,
ii) ऋण करार में इस आशय का उपबंध है कि उधारकर्ता वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार निर्मित कर सकता है और
iii) उधारकर्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त की हो,

तथा उक्त गिरवी रखना निम्नलिखित शर्तों पर होंगी:

i) इस प्रकार की गिरवी की अवधि अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता के साथ समाप्त होगी।
ii) गिरवी के अनुरोध के मामले में अंतरण वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा।
iii) सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह प्रमाणित किया हो कि उधारकर्ता कंपनी ने केवल अंतिम उपयोग/

उपयोगों के लिए ही बाह्य वाणिज्यिक उधार के आगम(आय) का उपयोग करेगी/उपयोग किया है।

बी) भारतीय कंपनी के शेयरों का अनिवासी धारक निवासी कंपनी के लिए सही/सद् भावी प्रयोजनों के लिए मिलने वाली ऋण (साख) सुविधा की प्राप्ति के लिए इन शेयरों को निम्नलिखित शर्तों के तहत गिरवी रख सकता है :

(ए) गिरवी के अनुरोध के मामले में अंतरण गिरवी के सृजन के समय उस समय प्रचलित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार होगा;

(बी) निवेशिती कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक का घोषणा पत्र/ वार्षिक प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण कि ऋण के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग घोषित प्रयोजन के लिए होगा / किया गया है ;

(सी) भारतीय कंपनी को सेबी के संगत प्रकटीकरण मानदंडों का अनुसरण करना होगा; और

(डी) बैंककारी विनिमय अधिनियम, 1949 की धारा 19 की शर्तों के तहत शेयर उधारदाता (बैंक) के पक्ष में गिरवी रखे जायेंगे।

सी) भारतीय कंपनी के शेयरों का **अनिवासी** धारक भारतीय कंपनी या उसकी समुद्रपारीय कंपनी के किसी अनिवासी निवेशक/अनिवासी प्रवर्तक को प्राप्त हो सकने वाली ऋण सुविधाओं को प्राप्त कराने के लिए इन शेयरों को **किसी समुद्रपारीय बैंक** के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के तहत गिरवी रख सकता है :-

(ए) ऋण केवल समुद्रपारीय बैंक से लिया जाए;

(बी) ऋण का उपयोग समुद्रपारीय मौलिक कारोबारी प्रयोजन के लिए किया जाए और उसे भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निवेश न किया जाए,

(सी) विदेशी निवेश का परिणाम भारत में पूँजी प्रवाह नहीं होना चाहिए;

(डी) गिरवी के अनुरोध के मामले में अंतरण गिरवी के सृजन के समय की प्रचलित प्रत्यक्ष विदेशी नीति के अनुसार होना चाहिए; और

(ई) अनिवासी उधारकर्ता के सनदी लेखाकार/प्रमाणित लोक लेखाकार का इस आशय का घोषणापत्र/वार्षिक प्रमाणपत्र कि ऋण के तहत प्राप्त राशि का उपयोग घोषित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा/किया गया है ।

खंड II

संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश

1. कंपनियां (इंटिटीज)

(i) सेबी के पास पंजीकृत **विदेशी संस्थागत निवेशक** संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा जारी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने के लिए पात्र हैं।

(ii) अनिवासी भारतीय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंक की संबंधित नामित शाखा (जिसे रिज़र्व बैंक ने संविभाग निवेश योजना को प्रशासित करने के लिए अधिकृत किया हो) द्वारा अनुमति के तहत भारतीय कंपनी द्वारा संविभाग निवेश योजना के तहत जारी शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने के लिए पात्र है ।

(iii) विदेशी संस्थागत निवेशकों के सेबी द्वारा अनुमोदित उप-खातों से संविभाग निवेश योजना के तहत निवेश करने की सामान्य अनुमति है ।

(iv) समुद्रपारीय कंपनी निकायों (ओसीबी) को भारत में संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत 29 नवंबर 2001 से निवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, यदि ओसीबी ने पीआइएस के अंतर्गत पहले से निवेश किया है तो वह उन शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचरों को शेयर बाजार में बेचे जाने तक रख सकता है।

2 सूचीबध्द भारतीय कंपनियों में निवेश

ए. विदशी संस्थागत निवेशक

ए) प्रत्येक **विदशी संस्थागत निवेशक/ सेबी अनुमोदित उप-खाता** कुल प्रदत्त पूँजी के अधिकतम 10 प्रतिशत या भारतीय कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत तक निवेश कर सकता है ।इस 10 प्रतिशत की सीमा में सेबी रजिस्टर्ड विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी संस्थागत निवेशक का सेबी अनुमोदित उप-खातेगत संविभाग निवेश योजना के तहत धारण किये गये शेयरों (भारत में किसी मान्यताप्रप्त स्टॉक एक्स्चेंज के पास रजिस्टर्ड दलाल के मार्फत की गयी खरीद या किए गए प्रस्ताव या प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा) के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत सेबी रजिस्टर्ड विदशी संस्थागत निवेशक के अर्जित शेयर उक्त 10 प्रतिशत की सीमा में शामिल होंगे ।

(बी) **सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/ सभी विदशी संस्थागत निवेशकों के उप लेखाओं** की सामूहिक रूप से कुल धारिता प्रदत्त पूंजी या परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 24

कैप/ सांविधिक सीमा तक बढ़ाई जा सकती है।

बी. अनिवासी भारतीय

(ए)अनिवासी भारतीयों को संविभाग निवेश योजना के तहत मान्यता प्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश की अनुमति है।

(बी) अनिवासी भारतीय संविभाग निवेश योजना के मार्ग के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय, दोनों के, आधार पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की प्रदत्त पूंजी/के डिबेंचरों के प्रत्येक सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य 5 प्रतिशत तक निवेश पर नामित प्राधिकृत व्यापारियों के जरिए कर सकते हैं।

(सी)सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदे गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों का समग्र प्रदत्त मूल्य, कंपनी की प्रदत्त पूंजी/ कंपनी के डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। समग्र उच्चतम सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत किया जा सकता है यदि संबंधित भारतीय कंपनी के निदेशक बोर्ड की आम सभा (जनरल बॉडी) इस आशय का विशेष संकल्प पारित करे और इसके लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करे ।

सी. विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने पर निषेध

- विदेशी संस्थागत निवेशकों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) में निवेश करने की अनुमति नहीं है ।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों को किसी भी ऐसी कपनी में निवेश करने की अनुमति नहीं है जो निम्नलिखित गतिविधियों/कार्यों में संलग्न है या जिसका उनमें संलग्न होना प्रस्तावित है :

i) चिट फंड कारोबार, अथवा
ii) निधि कंपनी, अथवा
iii) कृषि अथवा बागबानी कार्यकलाप अथवा
iv) स्थावर-संपदा कार्यकलाप* अथवा फार्म हाउस का निर्माण अथवा
v) अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में कारोबार

*उपर्युक्त "स्थावर संपदा कारोबार" में आवास/ वाणिज्यिक परिसर, शैक्षणिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की मूलभूत सुविधाओं, टाउनशिप का निर्माण शामिल नहीं है।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंकों के पास खाते

ए. विदेशी संस्थागत निवेशक

विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते संविभाग निवेश योजना के तहत निवेश के प्रयोजन से किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में विदेशी मुद्रा खाता और/ अथवा ब्याज रहित एक विशेष अनिवासी रुपया खाता खोल सकते हैं।वे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) विनियमावली, 1995 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार प्रतिभूतियों में वास्तविक निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा खाता से उक्त एक विशेष अनिवासी रुपया खाते में रकम अंतरित कर सकते हैं। यह राशि विदेशी मुद्रा खाते से उक्त विशेष अनिवासी रुपया खाते में प्रचलित बाज़ार दर पर अंतरित की जाये और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक प्रत्यावर्तनीय आय (कर के भुगतान के पश्चात) उक्त एक विशेष अनिवासी रुपया खाते से विदेशी मुद्रा खाते में अंतरित कर सकते हैं। शेयरों/ डिबेंचरों, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना बिलों की बिक्रीगत आय, आदि को विशेष अनिवासी रुपया खाते में जमा किया जा सकता है। ऐसी राशियां उक्त खाते में जमा करने की अनुमति है बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक संबंधित निवेशिती कंपनी/ विदेशी

संस्थागत निवेशकों से यह पुष्टि प्राप्त करें कि लाभांश की समग्र राशि/ देय ब्याज की राशि/ अनुमोदित शेयरों से आय/ डिबेंचरों/ सरकारी प्रतिभूतिधारकों की आय में से, जहां कहीं आवश्यक है, आय कर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर लागू दर से आयकर की कटौती की गई है।शेयरों/ डिबेंचरों/ दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, खज़ाना बिलों आदि की खरीद और आवेदक विदेशी संस्थागत निवेशकों के स्थानीय सनदी लेखाकार/ आयकर परामर्शदाता को फीस अदायगी, जहां ऐसी फीस उनके निवेश की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, को विशेष अनिवासी रुपया खाते के नामे डाला जाए।

बी. अनिवासी भारतीय

अनिवासी भारतीय संविभाग निवेश योजना के तहत निवेश करने के लिए एक नामित खाता (एनआरई/ एनआरओ खाता) खोलने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा संविभाग निवेश योजना को प्रशासित करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणि । बैंक की पदनामित शाखा से संपर्क कर सकते हैं ।

शेयरों और/या डिबेंचरों की प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीद करने के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल से विदेशी मुद्रा के आवक विप्रेषण या भारत में रखे गए एनआरई/एफसीएनआर(बी) खाते में रखी निधियों से किया जा सकता है । यदि शेयर अप्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीदे जाते हैं तो अनिवासी भारतीय उक्त खातों के अलावा एनआरओ खाते में जमा निधियों का भी उपयोग कर सकते हैं ।

4. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाएं

ए. विदेशी संस्थागत निवेशक

- सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्थिति सीमा और आवश्यक मार्जिन के साथ ही साथ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट संपार्श्विक प्रतिभूतियों संबंधी शर्तों के अधीन भारत में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों में भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा अनुमोदित सभी एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं11[12] में व्यापार करने की अनुमति है।
- सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप-खाता अपने विशेष अनिवासी रुपया खाता के अंतर्गत पृथक खाता खोल सकते हैं जिसके माध्यम से एक्स्चेंजों में ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यापार/ निवेश संबंधी सभी प्राप्तियां और भुगतान (आरंभिक मार्जिन और मार्क टू मार्केट निपटान, लेनदेन प्रभार, दलाली, आदि) किए जाएंगे।

- इसके अलावा, एक्सचेंज में ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं में व्यापार के प्रयोजन के लिए विशेष अनिवासी रुपया खाता और रखे गए उप-खाता में मुक्त रूप से लेनदेन किया जा सकता है।
- तथापि, रुपया राशि के प्रत्यावर्तन संबंधित करों के भुगतान के अधीन उनके विशेष अनिवासी रुपया खाते के माध्यम से ही किए जाएंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को उपर्युक्त पृथक खाते का उचित रिकार्ड रखना है और यथावश्यक उसे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना है।

बी. अनिवासी भारतीय

अनिवासी भारतीयों को अप्रत्यवर्तनीय आधार पर भारत में रखी रूपया निधियों में से सेबी द्वारा अनुमोदित एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं में सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं में निवेश करने की अनुमति है । ऐसे निवेश प्रत्यवर्तनीय लाभ रहित होंगे ।

5. विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए संपार्श्विक जमानत

ए) डेरिवेटिव खंड: विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार के डेरिवेटिव खंड में अपने लेनदेनों के लिए नकदी के अतिरिक्त संपार्श्विक जमानत के रूप में भारत स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को एएए(AAA) रेटिंगवाली विदेशी राजकीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉरपोरेशन्स तथा उनके समाशोधन सदस्यों को इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन निम्नलिखित लेनदेनों की अनुमति है :

(ए) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां अधिग्रहीत करने, रखने, गिरवी रखने तथा अंतरित करने और विदेशी निक्षेपागारों में डी-मैट खाते खोलने तथा उनका संचालन के लिए।

(बी) यदि किन्हीं विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों पर कारपोरेट कार्य के कारण होने वाली आगम राशि बनती है तो उसे प्रेषित करना।

(सी) यथा आवश्यक, ऐसी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का परिसमापन।

समाशोधन (क्लियरिंग) कॉरपोरेशन को अपने समाशोधन सदस्यों की गैर-नकदी संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखी हुईं विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों के अधिशेष की रिपोर्ट जिस महीने से संबंधित है उसके बाद वाले महीने की 10 तारीख तक मासिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक12[13] को प्रस्तुत करनी होगी।

बी. ईक्विटी खंड

उल्लिखित दिशा-निर्देश ईक्विटी खंड पर भी लागू हैं । इसके अलावा, घरेलू (देशी) सरकारी प्रतिभूतियों (सेबी द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट समग्र सीमा के भीतर; मौजूदा सीमा **10 बिलियन अमरीकी डॉलर** है) को भी भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में बाजार के नकदी खंड संबंधी नकदी लेनदेनों के अलावा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है । हालांकि, (विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बाजार के नकदी खंड में अपने लेनदेनों के लिए मार्जिन के रूप में रखी)सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार के नकदी तथा डेरिवेटिव खंड के बीच क्रास मार्जिनिंग की अनुमति नहीं होगी ।

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत अपने विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से शेयरों की खरीद के लिए स्टाक एक्सचेंजों/ स्टाक एक्सचेंजों के समाशोधन गृहों के पक्ष में कस्टोडियन बैंकों को अप्रत्याहरणीय (irrevocable) भुगतान के वायदे जारी करने की अनुमति है । बैंकों के द्वारा जारी अप्रत्याहरणीय (irrevocable) भुगतान वायदे रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के पूँजी बाजार के एक्सपोज़रों के संबंध में समय समय पर जारी विनियम और 30 सितंबर 2010 के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के परिपत्र सं. बैंपविवि निदेश. बीसी.46/13.03.00/2010-11 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार होने चाहिए ।

6. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अधि-बिक्री (शार्ट सेलिंग)

ए. विदेशी संस्थागत निवेशक

सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के सेबी द्वारा अनुमोदित उप-लेखों को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की अधि बिक्री, उधार देने तथा उधार लेने की अनुमति है। भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की अधि बिक्री, उधार देना तथा उधार लेना उन शर्तों के अधीन है जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी / अन्य नियंत्रक एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें। उपर्युक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

(ए) विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऐसी भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की अधि बिक्री, उधार देने तथा उधार लेने की अनुमति नहीं होगी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की रोक सूची/ सतर्कता सूची में होंगे।

(बी) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयर केवल अधि बिक्री मद्दे सुपुर्दगी के प्रयोजन से उधार लिए जायेंगे।

(सी) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मार्जिन /संपार्श्विक केवल नकद रूप में रखी जायेगी। इस मार्जिन /संपार्श्विक पर विदेशी संस्थागत निवेशकों को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

बी. अनिवासी भारतीय

अनिवासी भारतीय निवेशक को खरीदे गये शेयरों की सुपुर्दगी लेनी होगी तथा बेचे गये शेयरों की सुपुर्दगी देनी होगी । अधि बिक्री की अनुमति नही है ।

7. विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास निजी नियोजन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को किसी भारतीय कंपनी के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को प्रस्ताव (आफर)/ निजी नियोजन के मार्फत उस सीमा तक खरीदने की अनुमति है जहां तक कुल विदेशी संस्थागत निवेश अर्थात पीआइएस और एफडीआइ (निजी नियोजन/आफर) अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेश/ उप खातेगत निवेश की 10 प्रतिशत की सीमा और सभी संस्थागत निवेश/ उप खातों को मिलाकर भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक या यथा लागू सेक्टोरेल सीमा से अधिक न हो। भारतीय कंपनी ऐसे शेयर जारी कर सकती है बशर्ते :

ए) सार्वजनिक प्रस्ताव के मामले में, जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस पर निवासियों को शेयर जारी किया गया है ; और

बी) निजी नियोजन द्वारा जारी किए जाने के मामले में, निर्गम मूल्य/कीमत का निर्धारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार हो ।

8. संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निजी नियोजन के तहत अधिग्रहीत/ अर्जित

शेयरों का अंतरण

संविभाग निवेश योजना के तहत स्टाफ एक्स्जेंच से अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदे गए शेयर भारत में या भारत से बाहर के किसी निवासी को निजी प्रबंध के अंतर्गत बिक्री या उपहार द्वारा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना अंतरित नहीं किए जा सकते हैं । हालांकि, संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत अर्जित शेयरों को अनिवासी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित किसी रिश्तेदार को या भारत में किसी विधि के अधीन विधिवत् पंजीकृत धर्मादाय ट्रस्ट को अंतरित कर सकता है ।

9. भारतीय रिज़र्व बैंक और प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निवेश की स्थिति की निगरानी

विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीय निवेशकों के सूचीबध्द भारतीय कंपनियों में अभिरक्षकों/पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर फॉर्म एलईसी (एफआईआई) तथा एलईसी(एनआईआर) में किए गए निवेश के संबंध में दी गयी सूचना के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक निवेश की स्थिति पर निगरानी रखता है । तथापि, संबंधित पदनामित बैंक(एनआरआइएस)/अभिरक्षक बैंक (एफआइआइएस) निम्नलिखित की निगरानी करें:

- प्रत्येक अनिवासी भारतीय/विदेशी संस्थागत निवेशक की सीमा की निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके उसने विनिर्दिष्ट सीमा नहीं तोड़ी है ।
- उन्हें रिपोर्ट करने पर यह सुनिश्चित करें कि सौदे/व्यापार प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं किया जाता है ।
- पदनामित खाते में हुए लेनदेनों की निगरानी करके कि सभी व्यापार लेनदेन उन्हें रिपोर्ट किये जाते हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं अनिवासी भारतीय निवेशों संबंधी लेनदेनों की रिपोर्टिंग का दायित्व पदनामित अभिरक्षक/एडी बैंक, डिपॉजिटरी सहभागी के साथ साथ ये निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशक एवं अनिवासी भारतीय का है ।

10. सतर्कता सूची

संविभाग निवेश योजना के तहत जब विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीय के निवेशों की कुल होल्डिंग की सीमा सेक्टोरेल कैप से 2 प्रतिशत पहुँचना शेष रह जाती हे तो रिज़र्व बैंक सभी पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सचेक सूचना करता है कि किसी अमुक भारतीय कंपनी के शेयरों की विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीयों द्वारा उक्त सीमा से आगे की खरीद के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त की जाए । कंपनियों, जिनमें सतर्कता सूची

में दर्ज कंपनियां शामिल है, के शेयरों की विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीद के मामले-दर-मामले के आधार पर रिज़र्व बैंक अनुमोदन देता है ।

11. निषिध्द सूची

जब विदेशी संस्थागत निवेशकों /अनिवासी भारतीय द्वारा होल्डिंग समग्र उच्चतम सीमा/सेक्टोरेल कैप/सांविधिक उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है तो रिज़र्व बैंक ऐसी कंपनी को निषिध्द सूची में डाल देता है । एक बार निषिध्द सूची में दर्ज होने पर कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक /अनिवासी भारतीय ऐसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता है ।

खंड III :विदेशी जोखिम पूंजी निवेश

विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों द्वारा निवेश

(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (एफवीसीआइ) भारतीय रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम (आइवीसीयू) या भारतीय उद्यम पूंजी निधि (आईवीसीएफ) या ऐसी भारतीय उद्यम पूंजी निधि (आईवीसीएफ) द्वारा शुरू की गई किसी योजना में निवेश कर सकता है बशर्ते घरेलू वीसीएफ सेबी के पास पंजीकृत हो। सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेश के द्वारा ये निवेश सेबी के संबंधित विनियम तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम विनियम तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशगत क्षेत्र विशेष कैप्स (caps) के अधीन होंगे।

भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम (आइवीसीयू) भारत में निगमित एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट नकारात्मक सूची के तहत किसी कार्यकलाप में नहीं लगी हुई है। उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) एक ट्रस्ट अथवा निगमित कंपनी सहित एक कंपनी के रूप में स्थापित ऐसी निधि के रूप में परिभाषित की गयी है,जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम (जोखिम) पूंजी निधि) विनियमावली, 1996 के तहत पंजीकृत है, जिसके पास उपर्युक्त विनियमावली में विनिर्दिष्ट तरीके से उगाही गई पूंजी का एक समर्पित समूह है और जो उपर्युक्त विनियमावली के अनुसार जोखिम पूंजी उपक्रम में निवेश करता है।

(ii) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक आरंभिक वीसीएफ द्वारा स्थापित योजनाओं की यूनिटों/ निधियों में सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा निजी प्लेसमेंट के माध्यम से भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम अथवा उद्यम पूंजी निधि की ईक्विटी/ ईक्विटी संबद्ध लिखतों/ ऋणों/ ऋण लिखतों, डिबेंचरों की खरीद कर सकते हैं।अनुमोदन देते समय रिज़र्व बैंक एफवीसीआइ को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की नामित शाखा में बिना ब्याज वाला विदेशी मुद्रा खाता और/या बिना ब्याज वाला विशेष अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति कतिपय शर्तों के तहत देता है।

(iii) शेयरों, डिबेंचरों और यूनिटों की खरीद/ बिक्री की कीमत क्रेता और विक्रेता के बीच परस्पर सहमति के आधार पर तय हो सकती है । सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक प्रतिभूतियों के जारीकर्ता से प्रतिभूतियां (जैसा कि उल्लिखित मद सं. (ii)में दिया गया है) सार्वजनिक प्रस्ताव या निजी नियोजन के तहत अर्जित/अधिग्रहीत कर सकता है और किसी तीसरे पक्ष के साथ हुई व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें नहीं ले सकता है ।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक कुल आवक प्रेषण की सीमा तक विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक को अग्रिम कवर (फारवर्ड कवर) का प्रस्ताव दे सकता है। यदि एफवीसीआइ ने कुछ निवेशों का परिसमापन कर कोई प्रेषण किया है तो निवेश की मूल लागत की कटौती पात्र कवर से की जानी चाहिए ताकि वास्तविक कवर पाया जा सके, जिसका प्रस्ताव किया जा सकता है।

(v) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक द्वारा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी समय समय पर यथा संशोधित की अनुसूची II के अंतर्गत किए गए निवेश उसमें वर्णित मानदंडों द्वारा विनियमित होंगे ।

खंड IV

अन्य विदेशी निवेश

1. **अनिवासी भारतीयों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद**

(i) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर

(ए) अनिवासी भारतीयों द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद बिना किसी सीमा के की जा सकती है। ऐसी खरीद के लिए दी जाने वाली राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल से प्राप्त आवक विप्रेषणों से या प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास रखे एनआरई/ एफसीएनआर (बी)/ एनआरओ खाते में धारित निधियों में से चुकाई जाएगी।

(बी) अनिवासी भारतीय, बिना किसी सीमा के अप्रत्यावर्तनीय आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, खजाना बिल, घरेलू म्युच्युअल फंड की यूनिटों, मुद्रा बाजार के म्युच्युअल फंड की यूनिटों की भी खरीद कर सकते हैं। भारत सरकार ने अधिसूचित किया है कि अनिवासी भारतीयों को पीपीएफ सहित लघु(अल्प) बचत योजनाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं है। अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेश के मामले में बिक्रीगत आय एनआरओ खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निवेशित राशि और उस पर पूंजी अधिमूल्यन की राशि को विदेश में प्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

अनिवासी भारतीय किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.4/2000-आरबी समय समय पर यथा संशोधित में दी गयी अन्य शर्तों के तहत प्रत्यावर्तनीय आधार पर या अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश कर सकता है ।

(ii) प्रत्यावर्तनीय आधार पर

अनिवासी भारतीय बिना किसी सीमा के प्रत्यावर्तनीय आधार पर सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों (धारक प्रतिभूतियों को छोड़कर) अथवा खजाना बिल अथवा घरेलू म्युच्युअल फंड के यूनिट, भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी बांड और भारत सरकार द्वारा विनिवेशित किए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के शेयर खरीद सकता सकता है बशर्ते खरीद बोली मंगानेवाली सूचना में अनुबद्ध शर्तों के अनुरूप हो।

2. भारतीय निक्षेपागार रसीद (आईडीआर)

भारत में स्थित अनिवासी कंपनी द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदें कंपनी (निक्षेपागार रसीद जारी करना) नियमावली, 2004 तथा बाद में उसमें किये गये संशोधन और समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (डीआईपी) दिशा-निर्देश, 2000 की शर्तों के अधीन जारी की जा सकती हैं। ये भारतीय निक्षेपागार रसीदें भारत में घरेलू निक्षेपागार के जरिए भारत में निवास करने वालों साथ ही सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों को भी जारी की जा सकती हैं। भारत में मौजूदगी रखने वाली वित्तीय / बैंकिंग कंपनियों द्वारा किसी शाखा अथवा सहयोगी के जरिए यदि भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करते हुए यदि निधियाँ उगाही की हो तो भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करने से पहले सेक्टोरल रेग्युलेटर (क्षेत्रीय विनियामक) का अनुमोदन प्राप्त किया जाए ।

ए) फेमा विनियमावली, फेमा,1999 की धारा 2(v) के अधीन जैसाकि परिभाषित है, भारत में निवासी व्यक्तियों पर भारतीय निक्षेपागार रसीदों में निवेश तथा भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेनों से उत्पन्न अनुवर्ती अंतरण के लिए फेमा विनियमावली लागू नहीं होगी।

बी) सेबी द्वारा अनुमोदित विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खातों सहित सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक तथा अनिवासी भारतीय, भारत के बाहर की निवासी पात्र कंपनियों द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के अनुसार अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण तथा निर्गम) विनियमावली, 2000 के अधीन तथा भारतीय पूंजी बाजार में जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदों में निवेश, खरीद, धारण तथा अंतरण कर सकते हैं। इसके अलावा, अनिवासी भारतीयों को प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक के पास रखे गये अपने अनिवासी बाह्य/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातेगत निधियों में से राशि का भारतीय निक्षेपागार रसीदों में निवेश करने की अनुमति है।

सी) भारतीय निक्षेपागार रसीदों की स्वत: परस्पर विनिमेयता की अनुमति नहीं है।

डी) भारतीय निक्षेपागार रसीदों के निर्गम की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पूर्वताप्राप्त ईक्विटी शेयरों में भारतीय निक्षेपागार रसीदें प्रतिदेय नहीं होंगी।

ई.) भारतीय निक्षेपागार रसीदों का पूर्वताप्राप्त शेयरों में प्रतिदान/ परिवर्तन करते समय भारतीय निक्षेपागार रसीदों का भारतीय धारक (भारत में निवासी व्यक्ति) समय-समय पर यथा संशोधित 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के अनुसार अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। तदनुसार, भारतीय निक्षेपागार रसीदों के प्रतिदान के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:

i. सूचीबद्ध भारतीय कंपनियाँ समय-समय पर यथा संशोधित 07 जून 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6 बी तथा 7 की शर्तों के अधीन पूर्वताप्राप्त शेयर या तो बेच सकती हैं या उन्हें धारण कर रख सकती हैं।
ii. सेबी के पास पंजीकृत भारतीय म्युच्युअल निधियां समय-समय पर यथा संशोधित 07 जून 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6सी की शर्तों के अधीन पूर्वताप्राप्त शेयर या तो बेच सकती हैं या उन्हें धारण कर रख सकती हैं।
iii. निवासी व्यक्तियों सहित भारत में निवास करने वाले अन्य व्यक्तियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदों के पूर्वताप्राप्त शेयरों में परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक बिक्री के ही प्रयोजन से धारण किए रखने की अनुमति है ।
iv. फेमा के प्रावधान, विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों के सेबी द्वारा अनुमोदित उप खातों सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों का प्रतिदान हो जाने के बाद पूर्वताप्राप्त शेयरों की धारिता पर लागू नहीं होगे।

एफ) इस प्रकार की आरडीआई जारी करने वाली पात्र कंपनियों द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों के निर्गमों की आय भारत के बाहर अविलंब प्रत्यावर्तित की जाएगी। जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदें भारतीय

रुपये में मूल्यवर्गित होगी।

3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद

विदेशी संस्थागत निवेशक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों / खजाना बिलों/ सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों, भारतीय कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों और देशी (घरेलू) म्युच्युअल फंडों द्वारा जारी युनिटों,परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों तथा बैंकों द्वारा अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जारी बेमियादी ऋण लिखतों जो टियर । पूंजी (बैं.प.वि.वि., भा.रि.बैंक द्वारा यथा परिभाषित)में और पूंजी लिखतों जो उच्च टियर ॥ में शामिल होने के लिए पात्र है, को प्रत्यावर्तनीय आधार पर इनके जारीकर्ता से सीधे या भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्स्चेंज में पंजीकृत किसी शेयर दलाल से निम्नलिखित शर्तों के तहत खरीद सकते है:-

ए) किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक की कुल प्रतिभूति धारिता किसी परिसंपत्ति वित्त कंपनी की किसी योजना के तहत जारी प्रतिभूति रसीदों की प्रत्येक श्रृंखला के 10 प्रतिशत और सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल शेयरधारिता प्रत्येक योजना की हरेक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । विदेशी संस्थागत निवेशकों को एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने की अनुमति नहीं है ।

बी) किसी एक संस्थागत निवेशक/उप-खाते की कुल धारिता बेमियादी ऋण लिखत (टियर । पूंजी) के प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत और सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप खातों की समग्र धारिता बेमियादी ऋण लिखत के प्रत्येक निर्गम के प्रदत्त मूल्य के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

सी) किसी विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा उच्च टियर ॥ पूंजी लिखतों सहित ऋण लिखतों की रसीद सेबी और रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर,अधिसूचित सीमा के तहत होगी । अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों जैसे कंपनी ऋण लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश की सीमा 40 बिलियन अमरीकी डॉलर[14] है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :-

- 25 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों /बांडों में किया जा सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (जैसाकि ईसीबी दिशा-निर्देशों में दिया गया है)की सूचीबध्द या गैर-सूचीबध्द कंपनियों द्वारा जारी किए गए हों व जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि न्यूनतम 5 वर्ष तथा अवरुद्ध अवधि 3 वर्ष हो ।
- अवरूद्धता अवधि और अवशिष्ट परिपक्वता अवधि की शर्त रहित अनुमत सूचीबध्द कंपनियों के ऋण लिखतों में 15 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया जा सकता है ।

डी) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति में निवेश की मौजूदा सीमा 10 बिलीयन अमरीकी डॉलर की है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :-

- 5 वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा 5 बिलियन अमरीकी डॉलर है ।
- अवशिष्ट परिपक्वता अवधि की शर्त रहित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा 5 बिलियन अमरीकी डॉलर है ।

4. बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबीएस) द्वारा निवेश

बहुपक्षीय विकास बैंक, जिसे भारत सरकार ने भारत में रुपया बांड़ जारी करने के लिए विशेष रूप से अनुमति दी है, वह सरकारी दिनांकित प्रतिभूति खरीद सकता है।

5. भारत में बैंकों द्वारा जारी टीयर I और टीयर II लिखतों में विदेशी निवेश

(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों को भारत में बैंकों द्वारा जारी तथा भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीत बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र) और ऋण पूंजी लिखतों (उच्च टीयर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभिदान की अनुमति दी गई है।

ए) रुपये में मूल्यवर्गीकृत बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I) में सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की सकल सीमा से अधिक और एकल विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम की 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

बी) रुपये में मूल्यवर्गीकृत बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I) में सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 24 प्रतिशत की सकल सीमा से अधिक और एकल अनिवासी भारतीय द्वारा प्रत्येक निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

सी) रुपए में मूल्यवर्गीत ऋण पूंजी लिखतों (टीयर II) में विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश कंपनी ऋण लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशक के निवेश के लिए सेबी द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर होना चाहिए।

डी) रुपए में मूल्यवर्गीकृत ऋण पूंजी लिखतों (टीयर II) में अनिवासी भारतीयों का निवेश अन्य ऋण लिखतों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने के लिए मौजूदा निवेश नीति के तहत होगा ।

(ii) जारीकर्ता बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ऊपर निर्धारित शर्तों के अनुपालन को जारी करने के समय सुनिश्चित करें। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे समय-समय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें।

(iii) बैंक द्वारा टीयर I पूंजी के लिए अर्हता प्राप्त करनेवाले बेमीयादी ऋण लिखतों के रूप में विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीयों से उगाही गई राशि के निर्गमवार ब्योरे निर्गम के 30 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक [15] को निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करें।

(iv) भारतीय रुपए में उगाहे गए अपर टीयर II लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश , कारपोरेट ऋण लिखतों में निवेश के लिए सेबी द्वारा निर्धारित सीमा में होंगे। फिर भी, इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश 500 मिलियन अमरीकी डालर की एक पृथक सीमा के अधीन होगा।

(v) विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज में सेकेंडरी मार्केट में इन लिखतों में की गयी बिक्रियों/ खरीदों के ब्योरे क्रमशः कस्टोडियन और नामित बैंकों द्वारा एलईसी (एफआईआई) और एलईसी (एनआरआई) फार्म की सॉफ्ट कॉपी के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाएं।

खंड-V: खंड। तथा खंड ॥ के अनुसार भारत में विदेशी निवेश के बाबत रिपोर्टिंग दिशा-निर्देश

1. शेयरों के नए निर्गम हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश15[16] की रिपोर्टिंग

(i) आवक प्रेषणों की रिपोर्टिंग :

(ए) शेयरो के ऐसे निर्गम के कारण वास्तविक आवक प्रेषण प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा द्वारा सामान्य रूप में आर-रिटर्न में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(बी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ अधिमानी शेयरों के निर्गम के लिए भारत के बाहर से निवेश प्राप्त करनेवाली भारतीय कंपनी, प्रतिफल के रूप में प्राप्त आवक प्रेषणों के ब्योरे प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक के सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिए संलग्नक 6 में दिये गये अग्रिम रिपोर्टिंग फॉर्म में रिपोर्ट करें। उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन न किये जाने पर फेमा के तहत उल्लंघन माना जाएगा और इस संबंध में दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट www.rbi.org.in/Scripts/view Fema Forms.aspx.से डाउनलोड किया जा सकता है।

(सी) भारतीय कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ अधिमानी शेयरों के निर्गम के लिए भारत के बाहर से प्रतिफल के रूप में प्राप्त निवेश राशि के ब्योरे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिये रिपोर्ट करें और उसके साथ विदेश से धन प्रेषण करने वाले बैंक से प्राप्त अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिये " रिपोर्ट (संलग्नक -7 के अनुसार) तथा प्रेषण प्राप्ति के सबूत के तौर पर एफआईआरसीएस की प्रति/ प्रतियां भी प्रस्तुत करें। भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट की पावती दी जायेगी और रिपोर्ट की गयी राशि के लिए एक यूनीक नंबर (यूएनआई) आबंटित किया जायेगा।

(ii) समय सीमा जिसके भीतर शेयर जारी किये जाने हैं

आवक प्रेषण की प्राप्ति अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता डेबिट करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर इक्विटी लिखत जारी कर दिए जाने चाहिए । यदि आवक प्रेषण की प्राप्ति अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता डेबिट करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर इक्विटी लिखत नहीं जारी किये जाते हैं तो उस स्थिति में प्राप्त प्रेषण की राशि सामान्य बैंकिंग चैनेल के जरिये अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता को क्रेडिट करके तत्काल उसे लौटा दी जाये । उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन न किये जाने पर इसे फेमा के तहत उल्लंघन माना जायेगा और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है । अपवाद स्वरूप , आवक प्रेषण की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्राप्त प्रेषण की राशि न लौटाये जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे मामले में उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा ।

(iii) शेयरों के निर्गम की रिपोर्टिंग

(ए) शेयर जारी करने के बाद (स्वत्वाधिकार आधार पर जारी बोनस तथा शेयरों सहित) तथा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना(इएसओपी) के तहत जारी शेयरों/

परिवर्तनीय डिबेंचरों/ परिवर्तनीय अधिमान शेयरों को जारी करने के बाद भारतीय कंपनी को अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिए शेयर जारी करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर संलग्नक-8 में दिये गये फार्म एफसी - जीपीआर में एक रिपोर्ट दर्ज़ करनी है। यह फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट www.rbi.org.in/Scripts/view Fema Forms.aspx.से डाउनलोड किया जा सकता है । उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने पर फेमा के तहत उल्लंघन माना जाएगा और दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

(बी)फार्म एफसी-जीपीआर का भाग-ए, कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक / सेक्रेटरी द्वारा विधिवत भरने और हस्ताक्षरित होने के बाद कंपनी के प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किया जाए और प्राधिकृत व्यापारी उसे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करेगा। भाग-ए, के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं :

(i) कंपनी के सचिव से यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि :

(ए) कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;

(बी) सरकारी अनुमोदन की शर्तों, यदि कोई हो, का पालन किया गया है;

(सी) कंपनी इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए पात्र है; तथा

(डी) कंपनी के पास प्रतिफल की राशि की प्राप्ति के सत्यापन में भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं;

(ii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को जारी शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के तरीके दर्शाते हुए मर्चंट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।

(सी)प्रतिफल प्राप्त करने की रिपोर्ट के साथ साथ एफसी-जीपीआर फार्म में रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

(डी) भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को सीधे अथवा वर्तमान भारतीय कंपनी के साथ समामेलन/ विलयन पर बोनस/ अधिकार शेयर अथवा स्टॉक विकल्प के निर्गम और बाह्य वाणिज्यिक उधार/ रॉयल्टी/ एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क/ विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के परिवर्तन पर शेयर के निर्गम को फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करना चाहिए।

2. शेयरों के अंतरण के मार्फत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग

(i) शेयरों के ऐसे अंतरण से वास्तविक आवक और जावक राशि को प्राधिकृत व्यापारी शाखा द्वारा सामान्य रूप में आर रिटर्न में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ii) निवासियों और अनिवासियों बीच तथा उससे उलट शेयरों के अंतरण को फार्म एफसी-टीआरएस (संलग्नक-9i) में रिपोर्ट किया जाएगा ।शेयरों के प्रतिफल के रूप में प्राप्त राशि के संबंध में उसकी प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक द्वारा फार्म एफसी-टीआरएस प्रस्तुत किया जाए। विनिर्दिष्ट समय सीमा में फार्म एफसी-टीआरएस के प्रस्तुतीकरण की जिम्मेदारी भारत में निवासी अंतरणकर्ता/अंतरिती की होगी ।

(iii) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा खरीदे गये ईक्विटी लिखतों के संबंध में बिक्रीगत प्रतिफल का भारत में विप्रेषण सामान्य बैंकिंग माध्यम से होगा। निधियां

प्राप्त करते समय विप्रेषण के प्राप्तकर्ता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों के आधार पर इसकी जाँच करेगा । यदि विप्रेषण प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक लेनदेन के अंतरण का कार्य करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक से भिन्न हो, तो विप्रेषण प्राप्तकर्ता बैंक को अपने ग्राहक को जानने संबधी जाँच करनी चाहिए और **ग्राहक द्वारा लेनदेन का कार्य करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक को फार्म एफसी-टीआरएस के साथ प्रस्तुत करना चाहिए ।**

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेनों की जाँच/संवीक्षा करें और लेनदेनों से संतुष्ट होने पर यह प्रमाणित करे कि फार्म एफसी-टीआरएस सही पाया गया है ।

(v) प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहक से प्राप्त फार्म एफसी-टीआरएस की दो प्रतियां विक्रय के तहत शेयरों के अंतरण के संबध में प्राप्त/प्रेषित विप्रेषणगत आवक राशि/जावक राशि के विवरण सहित संलग्न प्रोफार्मे में (जो एमएसएक्सेल फॉर्मेट में तैयार किया जाना है)आइबीडी/एफईडी/या बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नोडल ऑफिस को प्रस्तुत करे । बैंक के आइबीडी/एफईडी/ या बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नोडल ऑफिस इन विवरणों के आधार पर उनकी शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किये गये आवक तथा जावक विप्रेषण के तहत सभी लेनदेनों को रिपोर्ट के रूप में समेकित करेंगे । ये विवरण (आवक और जावक) मासिक आधार पर विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को (एमएसएक्सेल में) साफ्ट प्रति के रूप में fdidata@rbi.org.in पर मेल से भेजें । बैंक एफसी-टीआरएस फॉर्म अपने पास अनुरक्षित रखें और भारतीय रिज़र्व बैंक को न भेजें ।

(vi) अंतरिती/उसका विधिवत नियुक्त एजेंट विवेशिती कंपनी से उसकी बहियों में अंतरण रिकार्ड करने के लिए अंतरणकर्ता द्वारा विप्रेषण / अंतरिती को भुगतान राशि प्राधिकृत व्यापारी शाखा में प्राप्त होने के प्रमाणस्वरूप एफसीटीआरएस प्रमाणपत्र के साथ संपर्क करें । प्राधिकृत व्यापारी से प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर कंपनी अपनी बहियों में अंतरण रिकार्ड कर सकती है।

(vii) प्राधिकृत बैंक से विवरण मिलने पर रिज़र्व बैंक अंतरणकर्ता / अंतरिती या उसके एजेंट से, यदि आवश्यक हो, ऐसे अतिरिक्त ब्योरे मांग सकता है या निर्देश दे सकता है ।

3. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन - रिपोर्टिंग

बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन के बदले शेयरों को जारी करने का ब्योरा रिज़र्व बैंक के संबधित क्षेत्रीय कार्यालय को निम्नवत रिपोर्ट किया जाए,

ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार के पूर्ण परिवर्तन के मामले में कंपनी को रिज़र्व बैंक के संबधित क्षेत्रीय कार्यालय को फॉर्म एफसी-जीपीआर के साथ-साथ सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 400051 को फार्म ईसीबी 2 में संबंधित माह की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों के अंदर रिपोर्ट

करने होंगे । फार्म ईसीबी 2 के शीर्ष पर 'बाह्य वाणिज्यिक उधार पूर्णतः ईक्विटी में परिवर्तित' का स्पष्टतः उल्लेख किया जाए । इसे एक बार रिपोर्ट करने पर अनुवर्ती माह में फार्म ईसीबी 2 रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है ।

बी) बाह्य वाणिज्यिक उधार के आंशिक परिवर्तन के मामले में कंपनी परिवर्तित अंश को बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर के साथ-साथ फार्म ईसीबी 2 भी प्रस्तुत करेगी जिसमें परिवर्तित और अपरिवर्तित अंश को स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो। फार्म ईसीबी 2 के शीर्ष पर 'बाह्य वाणिज्यिक उधार अंशतः ईक्विटी में परिवर्तित' का स्पष्टतः उल्लेख किया जाए । अनुवर्ती माह में बाह्य वाणिज्यिक उधार के बकाया शेष को सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को फार्म ईसीबी 2 में रिपोर्ट किया जाएगा ।

सी) विशेष आर्थिक क्षेत्र की युनिट जो उल्लिखित पैरा (iii)में वर्णित ईक्विटी जारी करती है, वह जारी शेयरों के ब्योरे फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करेंगी ।

4. ईक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना की रिपोर्टिंग:

जारीकर्ता कंपनी से अपेक्षित है कि वह अपने कर्मचारियों को ईएसओपी जारी करने संबंधी जानकारी रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईएसओपी के जारी करने से 30 दिनों के भीतर ब्योरे सादे कागज पर प्रस्तुत करें । इसके अलावा, आप्शंन्स को शेयरों में परिवर्तित करने संबंधी जानकारी भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ऐसे शेयरों के आबंटन की तारीख से 30 दिनों के भीतर फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करे । तथापि, ऐसे निर्गमों के मामले में अग्रिम रिपोर्टिंग संबंधी उपबंध लागू नहीं होंगे ।

5. एडीआर/जीडीआर निर्गम की रिपोर्टिंग

एडीआर/जीडीआर जारीकर्ता भारतीय कंपनी निर्गम के बंद होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संलग्नक 10 में दिये गये फार्म में ऐसे निर्गम के पूरे ब्योरे भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ।कंपनी तिमाही विवरणी संलग्नक 11 में दिए गए फॉर्म में कैलेण्डर तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।तिमाही विवरणी तब तक प्रस्तुत की जाती रहेगी जब तक कि एडीआर/जीडीआर प्रणाली से उगाही गयी संपूर्ण राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार या तो भारत में प्रत्यावर्तित की जाती है या विदेश में इस्तेमाल की जाती है।

6. संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों की रिपोर्टिंग

(i) **विदेशी संस्थागत निवेश की रिपोर्टिंग;** प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक यह सुनिश्चित करे कि सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक जो

विशेष अनिवासी रूपया खाते को नामे करके विभिन्न प्रतिभूतियां (डेरिवेटिव और आइडीआर को छोड़कर) खरीदते हैं वे ऐसे सभी लेनदेनों के ब्योरे (डेरिवेटिव और आइडीआर को छोड़कर)फार्म एलईसी(एफआइआइ) में विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को ओआरएफएस के माध्यम से (https://secweb.rbi.org.in/ORFSMainWeb/Login.isp) वेबसाइट पर अपलोड करके प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत आंकडे उसकी एफआइआइ होल्डिंग रिपोर्ट से आवधिक आधार पर मिलते है ।

(ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना (जिसके लिए भुगतान सीधे कंपनी के खाते में आया हो) और संविभाग निवेश योजना (जिसके लिए भुगतान भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के साथ रखे विदेशी संस्थागत निवेशक के खाते से प्राप्त हुए हो) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी करने वाली भारतीय कंपनी फार्म एफसी-जीपीआर (संकग्नक 8) की मद सं. 5 के अंतर्गत इन आकड़ों को (निर्गमोंत्तर शेयर धारण पैटर्न) अलग अलग रिपोर्ट करें ताकि सांख्यिकी /निगरानी के प्रयोजन के लिए इन्हें उचित रूप में संकलित किया जा सकें ।

7. संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेशों की रिपोर्टिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक की पदनामित शाखा का लिंक कार्यालय अनिवासी भारतीयों की ओर से संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत किए गए लेनदेनों के आधार पर दैनिक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक[17] को प्रस्तुत करेगा । यह रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को फ्लापी में प्रस्तुत की जा सकती है और सीधे ओआरएफएस(https://secweb.rbi.org.in/ORFSMainWeb/Login.isp) वेबसाइट पर अपलोड करके प्रस्तुत की जा सकती है । प्राधिकृत व्यापारी बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत आंकडे उसकी एनआरआइ होल्डिंग रिपोर्ट से आवधिक आधार पर मिलते है ।

भाग II

साझेदारी फर्म/ स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में निवेश

1. साझेदारी फर्म/ स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में निवेश

अनिवासी भारतीय17[18] अथवा भारत से बाहर निवास करनेवाला भारतीय मूल का व्यक्ति18[19] अंशदान के माध्यम से किसी फर्म की पूंजी अथवा भारत में स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश कर सकता है बशर्ते:

i. राशि का निवेश आवक प्रेषण अथवा प्राधिकृत व्यापारी, प्राधिकृत बैंकों में अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी सामान्य खाते में से किया जाता है।

ii. फर्म अथवा स्वामित्ववाला प्रतिष्ठान कृषि/ बागान (प्लांटेशन)अथवा भूमि भवन कारोबार (अर्थात लाभ कमाने अथवा उससे आय कमाने की दृष्टि से भूमि अथवा अचल संपत्ति का कारोबार करना) अथवा प्रिंट मीडिया क्षेत्र में लगी हुई नहीं है/लगा हुई नहीं है।

iii. निवेशित राशि भारत से बाहर प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी।

2. प्रत्यावर्तनीय लाभ के साथ निवेश

अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति प्रत्यावर्तनीय लाभ के साथ एकल स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों/ साझेदारी फर्मों में निवेश करने हेतु रिज़र्व बैंक19[20] से पूर्वानुमति प्राप्त करें। आवेदन पर निर्णय भारत सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।

3. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति भारत में किसी फर्म अथवा किसी स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान अथवा व्यक्तियों के किसी संघ की पूंजी में अंशदान द्वारा निवेश करने के लिए रिज़र्व बैंक20[21] से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। आवेदन पर निर्णय भारत सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।

4. निषेध

अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति को किसी कृषि/ बागान (प्लांटेशन)कार्यकलाप अथवा भूमि भवन कारोबार (अर्थात् लाभ कमाना अथवा आय कमाने की दृष्टि से भूमि अथवा अचल सम्पत्ति में कारोबार) अथवा प्रिंट मीडिया में लगी हुई फर्म अथवा स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों अथवा में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

संलग्नक-1

(भाग-I, खंड-1, पैराग्राफ 7(ए))

विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र विशेष संबंधी नीति

विदेशी निवेश के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों/ कार्यकलापों में, अन्य यथानिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, नीचे दी गयी सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। निम्नलिखित क्षेत्रों/ कार्यकलापों में जिनका उल्लेख नहीं है, उन्हें स्वतःअनुमोदित मार्ग से नीचे उल्लिखित लागू क्षेत्रीय (सेक्टोरल) नियमों/ विनियमों के अधीन 100% सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

क्रम सं.	क्षेत्र/कार्यकलाप	एफडीआई कैप/ ईक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
I.	**कृषि**			
1.	पुष्प-कृषि, बागवानी,बीजों का विकास और उत्पादन तथा पौधा रोपण सामग्री, पशुपालन , मत्स्यपालन, जलीय जंतु पालन , नियंत्रित परिस्थितियों में सब्जियों और मशरूम उगाना तथा कृषि और उससे सम्बद्ध सेवाएं **<u>पाद टिप्पणी:</u> उपर्युक्त को छोड़कर अन्य कृषि क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।**	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	--
2.	**चाय बागान की समेत चाय क्षेत्र** **<u>पाद टिप्पणी:</u>** उपर्युक्त को छोड़कर बागान के अन्य क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।	100%	एफआईपीबी	भारतीय साझेदार/ जनता के पक्ष में 5 वर्ष के भीतर ईक्विटी का 26 % विनिवेश और भविष्य में जमीन के उपयोग हेतु संबंधित राज्य सरकार की अनुमति के अधीन।
	उद्योग -			
	खनन			
3.	खनन इसके अंतर्गत हीरे जवाहरात और बेशकीमती पत्थर, सोना, चांदी और खनिजों की खोज और उत्खनन आता है ।	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	खान और खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम **1957 (www.mines.nic.in)** के अधीन।
4.	**कोयला और लिग्नाइट-खनन** पॉवर प्रोजेक्ट और आयरन तथा स्टील, सीमेंट उत्पादन द्वारा सीमित खपत के लिए और कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के तहत, अन्य अनुमत कामकाज के	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (www.coal.nic.in) के अधीन

	लिए			
5.	**खनन और खनिज** खनिज और अयस्क लगे टिटैनियम को अलग करने और उसे उत्कृष्ट बनाने तथा पूर्ण करने के लिए जोड़ने संबंधी कार्यकलाप **पाद टिप्पणी:** **भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18 जनवरी 2006 की अधिसूचना सं. एस.ओ.61(ई) में सूचीबद्ध पदार्थों के खनन के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।**	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	क्षेत्र विशेष संबंधी विनियम और खनन तथा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन :- (i) तकनीकी अंतरण के साथ उत्कृष्टता संबंधी सुविधाएं भारत में लगायी जाएं। (ii) खनिजों की सफायी के दौरान निकलने वाले कूड़े-करकट का निपटान परमाणु ऊर्जा नियंत्रण/विनियामक बोर्ड द्वारा निर्मित विनियम जैसे कि परमाणु ऊर्जा (विकिरण- संरक्षण) नियमावली 2004, परमाणु ऊर्जा(रेडियो धर्मिता-कूड़े का सुरक्षित निपटान) नियमावली 1987 के अनुरूप किया जाएगा।
	विनिर्माण			
6.	**एल्कोहल और डिस्टीलेशन तथा मद्य-निर्माण**	100%	स्वतः अनुमोदित	उपयुक्त प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करके
7.	**कॉफी और रबड़ प्रसंस्करण तथा भंडारण**	100%	स्वतः अनुमोदित	--
8.	**प्रतिरक्षा उत्पादन**	26%	एफआईपीबी	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और आर्म्स एंड एम्युनिशंस उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में दिशा-निर्देशों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करके ।
9.	**खतरनाक रसायन** जैसे कि हाइड्रोसाइनिक एसिड और इसके व्युत्पन्न, फास्जीन और उसके व्युत्पन्न , आइसोसाइनेट और हाइड्रोकार्बन के डाई-आइसोसाइनेट	100%	स्वतः अनुमोदित	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और अन्य क्षेत्रगत विनियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करके।
10.	**औद्योगिक विस्फोटक -** विनिर्माण	100%	स्वतः अनुमोदित	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और विस्फोटक अधिनियम , 1898 के अधीन निर्मित विनियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करके ।
11.	**दवाइयां और औषधियां (फार्मास्युटिकल्स) जिनमें डीएनए टेक्नोलॉजी गत पुर्नसंयोजन प्रयुक्त**	100%	स्वतः अनुमोदित	-------

	होती हैं।			
12.	**पॉवर**			
	इसमें विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), प्रसारण, वितरण और विद्युत व्यापार शामिल हैं ।	100%	स्वतः अनुमोदित	विद्युत अधिनियम , 2003 (www.powermin.nic.in) प्रावधानों के अधीन
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति परमाणु ऊर्जा प्लांट/परमाणु ऊर्जा के जनरेशन, ट्रान्समिशन और इलेक्ट्रिसिटी के संवितरण के लिए नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में निजी निवेश / कार्यकलाप निषिद्ध हैं और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है।				
	सेवाएं			
	नागरिक विमानन क्षेत्र			
13.	**हवाई अड्डे**			
ए.	ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट	100%	स्वतःअनुमोदित मार्ग	नागरिक उड्डयन मंत्रालय (www.civilaviation.nic.in) द्वारा अधिसूचित क्षेत्रगत विनियमों के अधीन ।
बी.	वर्तमान प्रोजेक्ट	100%	74% से अधिक के लिए एफआईपीबी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए ।	नागरिक उड्डयन मंत्रालय (www.civilaviation.nic.in) द्वारा अधिसूचित क्षेत्रगत विनियमों के अधीन ।
14.	**वायु परिवहन सेवाओं में स्व-देशी, अनुसूचित यात्री एयरलाइंस, गैर-अनुसूचित स्व-देशी यात्री एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइंस, कारगो एयरलाइंस, हेलिकॉप्टर तथा सीप्लेन सर्विसेज**			
ए.	**अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं / स्वदेशी अनुसूचित यात्री एयरलाइंस**	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए - 49% अनिवासी भारतीयों के लिए 100%	स्वतः अनुमोदित	विदेशी एयरलाइंस की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागिता न होने की शर्त और क्षेत्रगत विनियमों के तहत । (www.civilaviation.nic.in)
बी.	**गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं / गैर-अनुसूचित एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइंस और कारगो एयरलाइंस,**	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए - 74% अनिवासी भारतीयों के लिए 100%	स्वतः अनुमोदित	विदेशी एयरलाइंस द्वारा गैर-अनुसूचित और चार्टर्ड एयरलाइन्स में किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागिता की अनुमति नहीं है।विदेशी एयरलाइंस कारगो एयरलाइंस संचालित करने वाली कंपनी की ईक्विटी में सहभागिता

				की अनुमति है। क्षेत्रगत विनियम भी लागू हैं। (www.civilaviation.nic.in)
सी.	**हेलीकॉप्टर सर्विसेज/ सीप्लेन सर्विसेज के लिए डीजीसीए का अनुमोदन अपेक्षित**	100%	स्वतः अनुमोदित	हेलीकॉप्टर सर्विसेज / सीप्लेन सर्विसेज संचालित करने वाली कंपनियों की ईक्विटी में विदेशी एयरलाइंस को सहभागिता की अनुमति है । क्षेत्रगत विनियम भी लागू हैं।
15.	**नागरिक विमानन क्षेत्र की अन्य सेवाएं**			
ए.	**ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज**	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए - 74% अनिवासी भारतीयों के निवेश के लिए 100%	स्वतः अनुमोदित	क्षेत्रगत विनियमों और सुरक्षा संबंधी अनापत्ति के अधीन हैं ।
बी.	**रखरखाव और मरम्मत संगठन; उड्डयन प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं**	100%	स्वतः अनुमोदित	--
16.	**परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनियां**	49% (केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)	एफआईपीबी	परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की ईक्विटी पूंजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश की अनुमति नहीं हैं। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश कर सकते हैं। ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूति रसीद योजना (एसआरस) की प्रत्येक श्रृंखला में 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं, बशर्ते किसी एक विदेशी संस्थागत निवेश प्रतिभूति रसीदों की योजनागत प्रत्येक श्रृंखला में

				निवेश 10 प्रतिशत से अधिक न हो । जहाँ एकल निवेश ईक्विटी की 10 प्रतिशत की सीमा को पार कर जाता है, वहाँ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (ब्याज) प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3(3)(एफ) के उपबंधों का अनुपालन किया जाए ।विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खातों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने की अनुमति नहीं है। (www.finmin. nic.in)
17.	**बैंकिंग- निजी क्षेत्र**	74% (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश) इस सीमा के अंदर विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश 49% से अधिक न हों।	स्वतः अनुमोदित	विदेशी बैंकों की शाखाएं/ उनकी सहायक संस्थाएं स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (www.rbi.org.in) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन।
18.	**प्रसारण**			
ए.	एफएम रेडियो	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश - 20% तक निवेश	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन ।
बी.	केबल नेटवर्क	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश -49%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित केबल टेलिविजन नेटवर्क नियमावली (1994) के अधीन।
सी.	डाइरेक्ट -टु -होम	49% - (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा

		+विदेशी संस्थागत निवेश) इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों के निवेश का हिस्सा 20% से अधिक न हों।		अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन।
डी.	हार्ड वेयर (धातु सामग्री) सुविधाएं जैसे कि अप-लिकिंग, हब आदि स्थापित करना।	49% - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित अप-लिकिंग पॉलिसी के अनुसार।
ई.	समाचार और सामयिक विषयों संबंधी टीवी. चैनेल्स की अप-लिकिंग	26% - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन।
एफ.	गैर -समाचार और सामयिक विषयों,टीवी. चैनेल्स की अप-लिकिंग	100%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन
19.	**पण्य विनिमय**	49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-26% विदेशी संस्थागत निवेश-23%	एफआईपीबी	संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक केवल सेकेंडरी मार्केट में खरीद के द्वारा ही निवेश कर सकते हैं।
20.	**टाउनशिप, आवास का विकास तथा मूलभूत संरचनागत ढ़ाँचे का विनिर्माण विकास परियोजनाएं-** (इसमें आवास, व्यावसायिक परिसर, रिसार्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं परंतु ये इन तक ही सीमित नहीं हैं। **पाद टिप्पणी : स्थावर संपदा के क्षेत्र में विदेशी संस्थागत**	100%	स्वतः अनुमोदित	निम्नलिखित को शामिल करते हुए **भारत सरकार की समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के पैरा 5.23 की** शर्तों के अधीन ए. पूर्ण स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के मामले में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर और संयुक्त उद्यमों के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का न्यूनतम पूंजीकरण। कंपनी का कारोबार शुरू होने से छह महीने के भीतर निधियाँ लानी होंगी। बी. प्रत्येक परियोजना के अधीन

	निवेश की अनुमति नहीं है।			विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र सर्विस्ड हाउसिंग प्लाट के विकास के मामले में - 10 हेक्टेयर ; और विनिर्माण - विकास परियोजना के मामले में - 50,000 वर्ग मीटर और यदि संयुक्त परियोजना हो तो दोनों में से कोई एक। सी. न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने से तीन वर्षों की अवधि से पहले मूल निवेश प्रत्यावर्तित नहीं हो सकता है। तथापि, एफआईबीपी के जरिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से निवेशक को इसे छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। डी. सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर परियोजना का काम-से-कम 50 % हिस्सा विकसित किया जाना चाहिए। निवेशक/ निवेशिती कंपनी को अविकसित प्लॉट बेचने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए " अविकसित प्लॉट " का अर्थ यह है कि जहाँ निर्धारित विनियमों के अधीन रास्ते, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईटिंग, ड्रेनेज, सिवरेज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं। यह आवश्यक होगा कि निवेशक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दे और आवासीय प्लॉट की सेवाओं के निपटान की अनुमति दिये जाने से पहले स्थानीय निकाय / सेवा एजेंसी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करे। **[टिप्पणी: उल्लिखित शर्तें, निम्नलिखित पर लागू नहीं हैं:**

				1.अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेशों पर, **2:** विशेष आर्थिक क्षेत्र , होटेल और अस्पताल में निवेश के संबंध में।]
21.	पैकेज, पार्सेल्स और अन्य वस्तुएं जो कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के दायरे में नहीं आती है के लिए **कुरियर सेवाएं**	100%	एफआईपीबी	वर्तमान कानून और पत्रों के वितरण संबंधी उन कार्य कलापों को छोड़कर जो कि विशेष रूप से राज्य सरकार के लिए सुरक्षित हैं ।(www.indiapost.gov.in)
	प्रतिभूति बाजार में वित्तीय मूलभूत जरुरतें			
22.	**प्रतिभूति बाजारों में संरचनात्मक (इंफ्रास्ट्रक्चर) मूलभूत कंपनियां** यथा, स्टॉक एक्स्चेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम	(प्रत्यक्ष विदेशी निवेश+विदेशी संस्थागत निवेश) -49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-26% विदेशी संस्थागत निवेश- 23%	एफआईपीबी	विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीद सेकेंडरी मार्केट तक ही सीमित रहेंगी । संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत ।
23.	**क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियां (सीआईसी)**	(प्रत्यक्ष विदेशी निवेश+विदेशी संस्थागत निवेश)-49% इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों का निवेश 24% से अधिक न हो ।	एफआईपीबी (और भारतीय रिज़र्व बैंक से विनियामक अनुमति)	विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीद सेकेंडरी मार्केट तक ही सीमित रहेंगी । क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेश क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनीज (विनियमावली) ऐक्ट 2005 के अधीन होगा। संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत।
24.	**औद्योगिक पार्क बनाने तथा बने पार्क दोनों के लिए**	100%	स्वतः अनुमोदित	भारत सरकार की समेकित एफडीआई नीति के पैरा 5.23 में विनिर्माण विकास परियोजनाओं के लिए लागू जो शर्तें हैं वे औद्योगिक पार्कों पर लागू नहीं होगी बशर्ते औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों । i यह कम से कम 10 यूनिट का और एक एकल यूनिट आबंटनीय क्षेत्रफल के 50% से अधिक क्षेत्र में फैला हो; और

				ii औद्योगिक कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाने वाला क्षेत्र कुल आबंटनीय क्षेत्रफल का कम से कम 660% हो।
25.	**बीमा**	26%	स्वतः अनुमोदित	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (www.irda.nic.in) (आईआरडीए) से लाइसेंस के अधीन।
26.	**बुनियादी / सेवा क्षेत्र (दूर संचार क्षेत्र को छोड़कर) में निवेश**	100%	एफआईपीबी	जहाँ विदेशी निवेश के लिए लिमिट निर्धारित है,वहाँ निर्धारित कैप के लिए केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर विचार किया जाएगा और विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली किसी कंपनी में किए गए विदेशी निवेश इस कैप में शामिल नहीं होंगे बशर्ते ऐसे निवेश करने वाली ऐसी कंपनी का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से अधिक न हो और निवेश करने वाली ऐसी कंपनी का प्रबंध भारतीय स्वामियों के पास हो।
27.	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां**			
i)	**मर्चेंट बैंकिंग**	100%	स्वतः अनुमोदित	**ए. निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा ।**निधि आधारित एनबीएफसी के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट लाया जाए; यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 51 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक हो, तो 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट लाया जाए; और यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक हो तो 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें से 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट लाया जाए और शेष 24 महीनों में।
ii)	**अंडरराइटिंग**			
iii)	**संविभाग प्रबंध सेवा**			
iv)	**निवेश परामर्शी सेवाएं**			
v)	**वित्तीय परामर्शी सेवा**			
vi)	**स्टॉक-ब्रोकिंग**			
vii)	**परिसंपत्ति प्रबंध**			

viii)	**जोखिम पूंजी**			**बी.** गैर-निधि आधारित एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड-0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर , बशर्ते, ऐसी कंपनी को किसी भी कार्यकलाप के लिए कोई अनुषंगी संस्था स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी और न ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की धारिता/ ऑपरेटिंग कंपनी के ईक्विटी में सहभागिता करेगी। **गैर- निधि आधारित कार्यकलापों** में निवेश परामर्शी सेवाएं, वित्तीय परामर्श, विदेशी मुद्रा ब्रोकिंग, मुद्रा परिवर्तन व्यवसाय तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ शामिल हैं। **सी.** विदेशी निवेशक 100% तक परिचालनात्मक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं बिना इस शर्त के कि भारतीय कंपनियों में उन्हें अपनी ईक्विटी के कम से कम 25% तक विनिवेश करना होगा बशर्ते वे 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश लाएं। इस संबंध में परिचालनात्मक कंपनियों की संख्या किसी प्रतिबंध के बिना एवं अतिरिक्त पूंजी लाने की शर्त नहीं होगी । **डी)** एनबीएफसी परिचालन के संयुक्त उद्यम जिनके 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश है उन्हें भी अन्य एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए कंपनियां स्थापित करने की भी अनुमति होगी बशर्ते कि कंपनियां भी न्यूनतम पूँजी अंत:वाह की शर्तों का अनुपालन करें। **ई.** भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाए
ix)	**अभिरक्षण सेवाएं**			
x)	**फैक्टरिंग**			
xi)	**क्रेडिट निर्धारक एजेंसियां**			
xii)	**लीजिंग तथा वित्तपोषण**			
xiii)	**आवासीय वित्त**			
xiv)	**फॉरेक्स ब्रोकिंग**			
xv)	*** क्रेडिट कार्ड कारोबार**			
xvi)	**मुद्रा परिवर्तक कारोबार**			
xvii)	**माइक्रो क्रेडिट**			
xviii)	**ग्रामीण ऋण**			

				।
* क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान उत्पादों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, वैल्यू एडेड कार्ड आदि को जारी करना, बिक्री करना, मार्केटिंग करना तथा डिजाइन करना शामिल हैं।				
28.	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र**			
ए.	रिफायनिंग (परिष्करण)	सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के मामले में 49% तक निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में 100% तक	एफआईपीबी (सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के मामले में) स्वत: अनुमोदित मार्ग –(निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में)	तेल बाजार सेक्टर हेतु मौजूदा सेक्टोरल नीति के तहत और मौजूदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की घरेलू ईक्विटी से वंचित या अवमिश्रित न करने कि शर्त के अधीन। (www.petroeum.nic.in)
बी.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में मार्केटिंग के लिए उनमें निवेश/ वित्त पोषण, बुनियादी सुविधाएं लगाने सहित रिफायनिंग और मार्केट स्टडी के अतिरिक्त	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी सेक्टोरल विनियम के अधीन। (www.petroeum.nic.in)
29.	**प्रिंट मीडिया**			
ए.	समाचार और सामयिक विषयों पर **समाचारपत्र और आवधिक** पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली कंपनियां	26%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
बी.	**वैज्ञानिक पत्रिकाएं / विशेष विषय पर जर्नल /आवधिक पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली कंपनियां**	100%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय (www.mib.nic.in) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
30.	**दूरसंचार**			
ए.	बेसिक और सेलुलर , यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज/ लंबी दूरी वाले नेशनल/ इंटरनेशनल, वी- सेट , पब्लिक मोबाइल रेडियो, ट्रंक्ड सर्विसेज (पीएम आरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज और अन्य उत्कृष्ट दूरसंचार सर्विसेज	74% (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, भारतीय अनिवासी निवेश,एफसीसीबीएस , एडीआरएस , जीडीआर , परिवर्तनीय	49% - तक स्वत: अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक के लिए एफआइपीबी के अनुमोदन के तहत	भारत सरकार की समेकित एफडीआई नीति के पैरा 5.38 में दिए दिशा-निर्देशों के अधीन ।

		अधिमानी शेयर और भारतीय प्रवर्तकों/ निवेशिती कंपनियों में अनुपातिक विदेशी ईक्विटी को शामिल करते हुए)		
बी.	गेटवे के साथ आईएसपी, रेडिओ पेजिंग,एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैंड विड्थ	74%	49% तक स्वत: अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक एफआइपीबी के अनुमोदनाधीन	दूरसंचार विभाग (www.dotindia.com) द्वारा अधिसूचित लाइसेसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं की शर्त के अधीन ।
सी.	(ए) गेटवे के बिना आईएसपी (बी) डार्क फाइबर,जाने का मार्ग, डक्ट स्थान और टॉवर (श्रेणी -I) उपलब्ध करानेवाले इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (सी) इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉइस मेल	100%	49% तक स्वत: अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक एफआईपीबी के अनुमोदनाधीन	यदि ये कंपनियां दुनिया के अन्य देशों में सूचीबद्ध हैं तो वे 5 वर्ष में अपनी ईक्विटी के 26 % तक अंश को भारतीय जनता के पक्ष में अंतरित करेंगी । यह सेवाएं लाइसेंसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं के भी अधीन हैं। (www.dotindia.com)
डी.	दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	सेक्टोरल अपेक्षाओं के अधीन। (www.dotindia.com)
31.	**व्यापार**			
ए.	थोक/ कैश तथा कैरी व्यापार	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	
बी.	निर्यात के लिए ट्रेडिंग	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	--
सी.	लघु उद्योग क्षेत्र से ली गयी व्यापारिक वस्तुएं	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	
डी.	उन वस्तुओं की टेस्ट- मार्केटिंग जिनके उत्पादन के लिए कंपनी ने अनुमोदन प्राप्त किया है ।	100%	एफआईपीबी द्वारा	इस शर्त के अधीन कि टेस्ट मार्केटिंग के लिए अनुमोदन/अनुमति दो वर्ष की अवधि के लिए होगी और टेस्ट मार्केटिंग के साथ ही उत्पादन सुविधाएं स्थापित की जाएं ।

ई.	सिंगल ब्रांड उत्पादन का खुदरा व्यापार	51%	एफआईपीबी द्वारा	भारत सरकार की समेकित एफडीआई नीति के पैरा 5.39 के अधीन।
32.	**सेटलाइट:** स्थापना और परिचालन	74%	एफआईपीबी द्वारा	अंतरिक्ष/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (www.iso.org) द्वारा जारी सेक्टोरल दिशा-निर्देशों के अधीन।
33.	**विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुक्त व्यापार भंडारण,** इन क्षेत्रों को स्थापित करना और इनमें इकाइयां खोलना	100%	स्वत: अनुमोदित मार्ग से	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और विदेश व्यापार नीति के अधीन। (www.sezindia.nic.in)
34.	जोखिम पूंजी निधि तथा जोखिम पूंजी उपक्रम	--	स्वत: अनुमोदित	सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों को सेबी विनियमावली तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में संबंधित क्षेत्रगत विशिष्ट उच्चतम सीमा के अधीन स्वत: अनुमोदित मार्ग के जरिए घरेलू जोखिम पूंजी उपक्रमों में निवेश करने की अनुमति है।

पाद-टिप्पणी : उपर्युक्त सभी क्षेत्र / कार्यकलाप भारत सरकार द्वारा समय -समय पर जारी संबंधित प्रेस नोटों / प्रकाशनी द्वारा नियंत्रित हैं।

संलग्नक -2

(भाग-I,खंड-I, पैरा-7(जी)(iii))

(ए) **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सभी कार्यकलापों/ क्षेत्रों हेतु भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है ।**

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित (निषिद्ध) क्षेत्र

(बी)

I. खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार को छोड़कर)

II. परमाणु ऊर्जा

III. सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार

IV. कैसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी

V. चिटफंड का कारोबार

VI. निधि कंपनी

VII. परिवर्तनीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआरएस)के अंतरण का कार्य में ट्रेडिंग

VIII. वे कार्यकलाप/ क्षेत्र जोनिजी क्षेत्र के निवेशों के लिए नहीं खोले गए हैं।

IX. कृषि, (नियंत्रित परिस्थितियों और सेवाओं के अधीन पुष्पखेती, बागबानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मछली पालन और कृषिकीय तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में सब्जी, मशूम आदि की खेती को छोड़कर) और बाग़ान (प्लांटेशन) (चाय बाग़ान को छोड़कर)

X. स्थावर संपदा कारोबार अथवा फॉर्म हाउसों का निर्माण

XI तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार, चिरूट, सिगरोल तथा सिगरेट का निर्माण

टिप्पणी:

1. किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश के अलावा फ्रेंचाइजिस. ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंध संविदा के लिए लाइसेंसिंग सहित किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी का सहयोग लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्यकलापों के लिए भी पूर्णत: निषिद्ध है।

2. सेबी के पास पंजीकृत घरेलू वीसीएफ में एफवीसीआई द्वारा निवेश को छोड़कर ट्रस्टों (न्यासों) में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

संलग्नक-3
(भाग-1, खंड-1, पैरा 8(बी))

भारत में निवासी व्यक्ति से भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से भारत में निवासी व्यक्ति को बिक्री द्वारा शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर अंतरित करने की शर्तें

1.1 सभी क्षेत्रों में किसी भारतीय कंपनियों के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में बिक्री के द्वारा अंतरण से संबंधित मूल्यांकन, प्रलेखीकरण, भुगतान/ प्राप्ति और प्रेषण संबंधी चिन्ताओं पर ध्यान देने के लिए लेनदेन में शामिल पार्टियां निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगी।

1.2 लेनदेन में शामिल पार्टियां : अपनी बही में स्वामित्व के अंतरण की रिकार्डिंग के लिए लेनदेन में शामिल पार्टियां (ए) विक्रेता (निवासी/ अनिवासी), (बी) क्रेता (निवासी/ अनिवासी) (सी) विक्रेता और/ अथवा क्रेता का विधिवत प्राधिकृत एजेंट, (डी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा और (ई) भारतीय कंपनी हैं।

2. पार्टियों के दायित्व / की बाध्यताएं

लेनदेन में शामिल सभी पार्टियों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि फेमा के तहत संबंधित विनियमों का अनुपालन किया जाता है तथा शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा यथानिर्धारित संबंधित अलग-अलग सीमाओं/ क्षेत्रीय सीमाओं/ विदेशी ईक्विटी सहभागिता सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। लेनदेनों का निपटान लागू करों, यदि कोई है, के भुगतान के बाद किया जायेगा ।

3. भुगतान और प्रेषण/ बिक्रीगत आय को जमा करने की प्रणाली

3.1 भारत से बाहर के निवासी द्वारा शेयरों की खरीद से प्राप्त बिक्री आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत भेजा जाएगा। यदि क्रेता अनिवासी भारतीय है, तो भुगतान उसके अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता में नामे डालकर किया जाए। हालाँकि, अनिवासी भारतीय द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अधिगृहीत शेयरों के मामले में आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत भेजा जाएगा अथवा अनिवासी विदेशी खाते/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते / अनिवासी रुपया खाते की निधियों से चुकाया जाएगा।

3.2 भारत से बाहर के निवासी द्वारा बेचे गए शेयरों की बिक्रीगत आय (करों को घटाकर) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जाए। विदेशी संस्थागत निदेशक के मामले में बिक्रीगत आय को उसके विशेष अनिवासी रुपया खाता में जमा किया जाए। अनिवासी भारतीय के मामले में, यदि बेचे गए शेयरों को प्रत्यावर्तन आधार पर रखा गया था, तो बिक्रीगत आय (करों को घटाकर) को अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते में जमा किया जाए तथा यदि बेचे गए शेयर अप्रत्यावर्तनीय आधार पर रखे गए थे, तो बिक्रीगत आय कर का भुगतान करके, अनिवासी सामान्य खाते में जमा की जाए।

3.3 विदेशी (समुद्रपारीय) कंपनी निकायों द्वारा बेचे गए शेयरों की बिक्रीगत आय (करों को घटाकर) को सीधे भारत से बाहर भेजा जा सकता है यदि शेयरों को प्रत्यावर्तन के आधार पर रखा गया था और यदि बेचे गए शेयर अप्रत्यावर्तनीय आधार पर रखे गए थे तो बिक्रीगत आय, कर का भुगतान करके,

अनिवासी सामान्य खाते में जमा की जाए केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ रिज़र्व बैंक ने ओसीबी के खाते पर रोक लगायी हो ।

4. प्रलेखीकरण

संलग्न फार्म एफसी-टीआरएस (चार प्रतियों में) में घोषणा पत्र प्राप्त करने के अलावा, प्राधिकृत व्यापारी शाखा निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने और उसका रिकार्ड रखने की व्यवस्था करे :

4.1 भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री

(i) अंतरण के ब्योरे अर्थात् अंतरण किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निवेशिती कंपनी का नाम, जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हैं तथा मूल्य, जिस पर शेयर अंतरित किए जा रहे हैं को दर्शाते हुए विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र। औपचारिक क्रय करार न होने की स्थिति में, इस आशय के एक दूसरे को भेजे गए पत्रों को रिकार्ड में रखा जाए।

(ii) उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के होने की स्थिति में एजेंट को शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए विक्रेता/ क्रेता को प्राधिकृत करने के लिए निष्पादित किया गया पावर ऑफ एटर्नी (दस्तावेज)।

(iii) श्रेणीवार निवासी और अनिवासी (अर्थात् अनिवासी भारतीय/ विदेशी (समुद्रापरीय)कंपनी निकाय/ विदेशी राष्ट्रिक/ निगमित अनिवासी कंपनियां/ विदेशी संस्थागत निवेशक) की ईक्विटी सहभागिता और विक्रेता/ क्रेता अथवा कंपनी जहां सेक्टोरियल कैप/ सीमा निर्धारित की गई है, द्वारा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा प्रदत्त पूंजी के प्रतिशत को दर्शाते हुए भारत के बाहर के किसी निवासी द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी की शेयर धारिता का स्वरूप।

(iv) सनदी लेखाकार से प्राप्त शेयरों के उचित मूल्य को दर्शानेवाला प्रमाणपत्र।

(v) यदि बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की गई है तो ब्रोकर के नोट की प्रति।

(vi) क्रेता से इस आशय का वचनपत्र कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर अधिग्रहण के लिए वह पात्र है तथा वर्तमान क्षेत्रीय (सेक्टोरेल)सीमा और मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vii) विदेशी संस्थागत निवेशक/ के उप लेखा (खाता धारक)से इस आशय का वचनपत्र कि सेबी द्वारा यथा निर्धारित अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप लेखा सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

4.2 भारत से बाहर के किसी निवासी द्वारा शेयरों की बिक्री के लिए

i. अंतरण के ब्योरे अर्थात् अंतरण किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निवेशिती कंपनी का नाम, जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हैं तथा मूल्य, जिस पर शेयर अंतरित किए जा रहे हैं को दर्शाते हुए विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

ii. उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के होने की स्थिति में एजेंट को शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए विक्रेता/ क्रेता द्वारा प्राधिकृत करने के लिए निष्पादित किया गया पावर ऑफ एटर्नी (दस्तावेज)।

iii. यदि विक्रेता अनिवासी भारतीय/ विदेशी (समुद्रापरीय) कंपनी निकाय हैं तो प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा रखे गए शेयरों का सबूत देनेवाले भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदनों की प्रतियां। बिक्रीगत आय को यथालागू अनिवासी विदेशी(एनआरओ)/ अनिवासी रुपया (एनआरओ)खाते में जमा किया जाएगा।

iv. सनदी लेखाकार से शेयरों का उचित मूल्य दर्शानेवाला प्रमाणपत्र।

v. आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र/ कर बेबाकी प्रमाणपत्र।

vi. क्रेता से इस आशय का प्रमाणपत्र कि मूल्य निर्धारण में दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

अनिवासी भारतीयों,ओसीबी द्वारा संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के खरीदे गए शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर निजी प्रबंध (प्राइवेट प्लेसमेंट) के अंतर्गत बिक्री द्वारा अंतरित नहीं किए जा सकते है ।

पैरा 5 (खंड ।) तथा पैरा 2 (खंड v) में क्रमशः कीमत निर्धारण तथा रिपोर्टिंग के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन किया जाए ।

संलग्नक -4
(भाग-I, खंड- I, पैरा 8 (बी)॥(iii))

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार के तौर पर भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को शेयरों के अंतरण करने के लिए प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज़

i. अंतरणकर्ता (दाता) और अंतरिती (आदाता) का नाम और पता।

ii. अंतरणकर्ता और अंतरिती के बीच रिश्ता।

iii. उपहार देने के कारण।

iv. सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खज़ाना बिलों तथा बांडों के मामले में ऐसे प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य पर सनदी लेखाकार द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र।

v. घरेलू म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों और मुद्रा बाज़ार म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों के मामले में ऐसी प्रतिभूति के निवल परिसंपत्ति मूल्य के संबंध में जारीकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र ।

vi. शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में, सेक्यूरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अथवा पूर्ववत डीसीएफ पद्धत्ति से क्रमशः सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों के बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य के संबंध में सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र ।

vii. संबंधित भारतीय कंपनी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि निवासी से अनिवासी को उपहार के तौर पर शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेचरों का प्रस्तावित अंतरण लागू सेक्टोरल कैप/ कंपनी में लागू विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा और कि अनिवासी अंतरिती द्वारा धारित शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रस्तावित संख्या कंपनी के प्रदत्त पूंजी [22] के 5 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगी।

viii. निवासी अंतरणकर्ता से इस आशय का एक वचनपत्र कि अंतरणकर्ता द्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को पहले ही अंतरित की जा चुकी किसी प्रतिभूति सहित अंतरित की जा रही प्रतिभूतियों का मूल्य **कैलेंडर वर्ष के दौरान** 25, 000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है।

संलग्नक -5

(भाग-I, खंड- I, पैरा 8 (बी)॥(iii))

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा उल्लिखित "रिश्तेदार" की परिभाषा

एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रिश्तेदार तभी और सिर्फ तभी माना जाएगा जब :

(ए) वे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य हैं; अथवा

(बी) वे पति और पत्नी हैं; अथवा

(सी) उनका एक दूसरे से सूची Iए में दर्शाये अनुसार (निम्नानुसार) रिश्ता है

1. पिता
2. माता (सौतेली माता सहित)
3. बेटा (सौतेला बेटा सहित)
4. बेटे की पत्नी
5. बेटी (सौतेली बेटी सहित)
6. पिता के पिता
7. पिता की माता
8. माता की माता
9. माता के पिता
10. बेटे का बेटा
11. बेटे के बेटे की पत्नी
12. बेटे की बेटी
13. बेटे की बेटी के पति
14. बेटी का पति
15. बेटी का बेटा
16. बेटी के बेटे की पत्नी
17. बेटी की बेटी
18. बेटी की बेटी के पति
19. भाई (सौतेला भाई सहित)
20. भाई की पत्नी
21. बहन (सौतेली बहन सहित)
22. बहन का पति

संलग्नक-6
[भाग-I, खंड- V, पैरा 1(i)]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट

(3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 20/2000 आरबी. की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) में यथा विनिर्दिष्ट वह कंपनी अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है,प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फाइल की जानी चाहिए।)

आयकर विभाग द्वारा निवेशिती कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)														

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	भारतीय कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता फैक्स टेलीफोन ई-मेल	
2.	**विदेशी निवेशक/ सहयोगी संस्था के ब्योरे**	
	नाम पता देश	
3.	**निधियां प्राप्ति की तारीख**	
4.	**राशि**	विदेशी मुद्रा में / भारतीय रुपयों में
5.	क्या निवेश स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? यदि अनुमोदन मार्ग के तहत हो तो कृपया ब्योरे दें (अनुमोदन की संदर्भ संख्या और दिनांक) दें।	स्वत: अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग

6.	प्राधिकृत व्यापारी का नाम जिसके माध्यम से प्रेषण प्राप्त किया गया है।	
7.	प्राधिकृत व्यापारी का पता	

उपर्युक्त के अनुसार शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए उगाही गई राशि प्राप्त होने के सबूत के तौर पर एफआईआरसी की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

निवेशिती कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर)	प्राधिकृत व्यापारी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर)

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

प्रेषण प्राप्ति हेतु (आबंटित) यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर :								

संलग्नक-7
[(भाग-I, खंड-V, पैरा 1(i)]

अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिए " फार्म

प्रेषक/ निवेशक का पंजीकृत नाम (यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो तो उसका नाम दिया जाए)	
पंजीकरण संख्या (यूनीक पहचान संख्या * यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो)	
पंजीकृत पता (स्थायी पता, (स्थायी पता यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो)	
प्रेषक के बैंक का नाम	
प्रेषक का बैंक खाता संख्या	
प्रेषक के साथ कब से बैंकिंग तालुकात हैं ?	

पासपोर्ट नं., सोशियल सिक्योरिटी नं., अथवा अन्य कोई यूनीक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि प्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही प्रेषक है ।

हम इसकी पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई ऊपर प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है।

प्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक : स्थान :

मुहर

संलग्नक-8
[(भाग-I, खंड- V, पैरा 1(iii))]

एफसी-जीपीआर

भाग-ए

(जब कभी विदेशी निवेशकों को कंपनी द्वारा शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए जाएं तो इस फॉर्म के संलग्नक वचन पत्र की मद सं. 4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, फाइल किया जाए।)

आयकर विभाग द्वारा निवेशिती कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)														
शेयरों / डिबेंचरों को जारी करने का दिनांक								

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	नाम	
	पंजीकृत कार्यालय का पता	
	राज्य	
	कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण नं.	
	मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है (जो लागू न हो, उसे काट दें)	मौजूदा कंपनी/नई कंपनी
	मौजूदा कंपनी के मामले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।	
	टेलीफोन	
	फैक्स	
	ई-मेल	
2.	मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का ब्योरा	
	एनआइसी कूट	
	परियोजना का स्थान और परियोजना जहां स्थित है, उस जिले का एनआइसी कूट	
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार अनुमत	

	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत	
	उल्लेख करें कि क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? (जो न लागू हो , उसे काट दें।)	स्वत: अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग
3.	**विदेशी निवेशक/ सहयोगी के ब्योरे***	
	नाम पता देश निवेश करने वाली संस्था का गठन/ स्वरूप [उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से कौन है: 1.कोई व्यक्ति 2.कंपनी 3.विदेशी संस्थागत निवेशक 4.विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक 5.विदेशी न्यास 6.निजी ईक्विटी फंड 7.पेशन/ प्रोविडेंट फंड 8.सरकारी धन -निधि22[23] 9.साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म 10.वित्तीय संस्था 11.अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति 12अन्य (कृपया उल्लेख करें)] संस्था के मामले में गठन की तारीख	

4.	**जारी किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे**			
(ए)	**निर्गम का स्वरूप और तारीख**			
		निर्गम का स्वरूप	**निर्गम की तारीख**	**शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या**
	01	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/एफपीओ		
	02	अधिमानी आबंटन/निजी नियोजन		
	03	अधिकार/राइट्स		
	04	बोनस		
	05	बाह्य वाणिज्यिक उधार का परिवर्तन		
	06	रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित)		

	07	विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर परिवर्तन		
	08	इएसओपी		
	09	शेयर स्वैप		
	10	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)		
		कुल		

(बी)	**जारी की गई प्रतिभूति का प्रकार**						
	संख्या	**प्रतिभूति का स्वरूप**	**संख्या**	**परिपक्वता**	**अंकित मूल्य**	**निर्गम मूल्य प्रति शेयर**	**आवक *राशि**
	01	ईक्विटी					
	02	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर					
	03	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर					
	04	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)					

i) यदि निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।

ii) * अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी के परिवर्तन पर अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र।

(सी)	**प्रीमियम का ब्रेक-अप**	**राशि**
	कंट्रोल प्रीमियम	
	गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	
	अन्य@	
	कुल	
	@ कृपया प्रीमियम का प्रकार स्पष्ट करें	
(डी)	निम्नलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयर जारी करने से **कुल आवक** (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) (i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विप्रेषण (ii) _____ बैंक के पास अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में नामे (iii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची –I के पैरा 9 (1) ए (i) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त (i) और (ii) रिपोर्ट करने की तारीख	
(ई)	**जारी किए गए शेयरों के उचित मूल्य का प्रकटीकरण *** **	
	हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक शेयर का बाज़ार मूल्य है*	

	हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य है*			

*** *शेयर के निर्गम से पहले* **(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शायें)*

5.	**निर्गम के पश्चात शेयर धारिता का स्वरूप**							
	निवेशक वर्ग		**ईक्विटी**			**अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमान शेयर/ डिबेंचर**		
			शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%	शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य)रु.	%
ए)	**अनिवासी**							
	01	**व्यक्ति**						
	02	**कंपनी**						
	03	**विदेशी संस्थागत निवेशक**						
	04	**विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक**						
	05	**विदेशी न्यास**						
	06	**निजी ईक्विटी फंड**						
	07	**पेंशन/ प्रोविडेंट फंड**						
	08	**सरकारी धन- निधि**						
	09	**साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म**						
	10	**वित्तीय संस्थान**						
	11	**अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति**						
	12	**अन्य (कृपया स्पष्ट करें)**						
		उप-जोड़						
बी)		**निवासी**						
कुल जोड़								

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जानेवाली घोषणा :

(जो लागू न हो उसे काट कर हस्ताक्षर प्रमाणित करें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि :

1. हम समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में दर्शाए अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों की निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।

2. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत क्षेत्रीय नीति/ सांविधिक सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् (निम्नलिखित में से लागू न हो उसे काट दें)

ए) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों को छोडकर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार है तथा भारत सरकार की समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति संबंधी परिपत्र के पैरा 4.2 में निहित शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अथवा

विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों को छोडकर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार नहीं है।
"उसी क्षेत्र" के प्रयोजन के लिए 4 अंकों वाली एनआईसी 1987 कूट संख्या प्रासंगिक होगी।

बी) हम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करने वाला औद्योगिक उपक्रम नहीं हैं।

अथवा

हम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करने वाला औद्योगिक उपक्रम हैं तथा प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक निवेश करने की सीमा का अनुसरण किया है/ अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं।

सी) अधिकार (राइट्स)आधार पर अनिवासियों को जारी किए गए शेयर समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 मई 2000 को जारी अधिसूचना सं.20/2000-आरबी के अनुरूप है।

अथवा

जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।

अथवा

दो अथवा अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन तथा समामेलन या एक कंपनी के अनेक में पृथकीकरण या अन्य योजना जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित हो, के तहत शेयर जारी किए गए हैं ।

अथवा

शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम के संबंध मे शर्तों को पूरा किया गया है।

3. शेयर एसआइए/एफआइपीबी के दिनांक . . . .. के अनुमोदन सं.-- के अनुसार जारी किए गए हैं।

4. हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9 (1) (बी) के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं।

(i) कंपनी-सचिव से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि:

(ए) कंपनी अधिनियम 1956 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं;

(बी) सरकारी अनुमोदन की सभी शर्तों , यदि कोई हों, उनका अनुपालन कर लिया गया है;

(सी) कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारी करने की पात्र है और

(डी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र कंपनी के पास मौजूद हैं।

(ii) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को जारी शेयरों की कीमत नियत करने के तरीके का उल्लेख करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षक / सेबी के पास पंजीकृत मर्चंट बैंकर श्रेणी-I/ सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र ।

5. शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने हेतु सभी प्रकार के प्रतिफलस्वरूप प्राप्त प्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी यूआईनंबर ।

आर							

आर							

(आवेदक के हस्ताक्षर)* : _____

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांकः

(* कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित)

निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव23[24] द्वारा फाइल किया जानेवाला प्रमाणपत्र :

(3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी)(i) के अनुसार)

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओ को पूरा किया गया है।

2. सरकारी अनुमोदन के शर्तों, यदि कोई हो तो, का अनुपालन किया गया है।

3. इन विनियमों के अधीन शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।

4. कंपनी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौज़ूद हैं जो भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9 (1) (आ) के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति का सबूत हैं।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)
(मुहर)

- * * * * * * * * * * * * *

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

एफसी-जीपीआर के लिए पंजीकरण नंबर:											

प्रेषण की प्राप्ति के समय कंपनी को आबंटित यूआईएन	**आर**										

संलग्नक-9-I

(भाग-1, खंड-V पैरा 2)

फार्म एफसी-टीआरएस				
निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों के अंतरण के बारे में घोषणा				
	(प्राधिकृत व्यापारी शाखा को धन प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।			
	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं ; भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री के लिए			
	(i)	विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा बाद वाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज		
	(ii)	भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी के शेयरधारिता का तरीका (पैटर्न)		
	(iii)	सनदी लेखाकार द्वारा शेयरों का उचित मूल्य दर्शाते हुए प्रमाणपत्र।		
	(iv)	अगर बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की गयी हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति।		
	(v)	क्रेता से इस बात का आश्वासन पत्र कि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अधीन शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों के अधिगृहीत करने का पात्र है और वर्तमान सेक्टोरल सीमाओं और मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिदेशों का पालन किया गया है।		
	(vi)	विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते धारकों से इस बात का आश्वासन पत्र कि सेबी द्वारा निर्धारित एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाता सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।		
	भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज			
	(vii)	अगर विक्रेता अनिवासी भारतीय/ समुद्रपारीय निगमित निकाय हो तो प्रत्यावर्तनीय/ गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा धारित शेयरों के सबूत के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां		
	(viii)	आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से अनापत्ति / कर बेबाकी प्रमाणपत्र।		
1	**कंपनी का नाम**			
	पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)			
	कार्यकलाप			
	एनआइसी कूट सं.			
2	**क्या स्वतःअनुमोदित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है?**			
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत क्षेत्रीय सीमा			
3	**लेनदेन का स्वरूप** *(जो लागू न हो उसे काट दें)*			निवासी से अनिवासी को अंतरण अनिवासी से निवासी को अंतरण
4	**क्रेता का नाम**			
	निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप **स्पष्ट करें कि क्या,**			
	1. कोई व्यक्ति			

	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेशक	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक	
	5. विदेशी न्यास	
	6. निजी ईक्विटी फंड	
	7. पेंशन/ प्रोविडेंट फंड	
	8. सरकारी धन निधि24[π]	
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म	
	10. वित्तीय संस्था	
	11. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति	
	12. अन्य	
	निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	क्रेता का नाम व पता (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स, आदि शामिल करें)	
5.	**विक्रेता का नाम**	
	निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप	
	उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से कौन है	
	1. व्यक्ति	
	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेशक	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक	
	5. विदेशी न्यास	
	6. निजी ईक्विटी फंड	
	7. पेंशन/ प्रोविडेंट फंड	
	8. सरकारी धन निधि[π]	
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म	
	10. वित्तीय संस्था	
	11. अनिवासीभारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति	
	12. अन्य	
	संस्था के मामले में निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	विक्रेता का नाम व पता (इ-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स, आदि शामिल करें)	
6.	**भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पिछले अनुमोदन के ब्यौरे**	
7.	**अंतरित किये जाने वाले शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों के ब्यौरे**	

लेनदेन करने की तारीख	शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय	अंकित मूल्य रु. में	अंतरण के लिए तय की	वसूल की गई

	अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों की संख्या		**गई कीमत रु. में**	**प्रतिफल की राशि रु. में**

[π] सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश माध्यम, जिसका निधीयन विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता है और जो मौद्रिक प्राधिकरणों के शासकीय निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता है।

8	**कंपनी में विदेशी निवेश**		शेयरों की संख्या	प्रतिशत
		अंतरण से पहले		
		अंतरण के बाद		
9	**जहाँ शेयर / अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयर / डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;**			
	स्टॉक एक्सचेंज का नाम			
	स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत			
	जहाँ शेयर /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयर /डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबद्ध हैं?			
	मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के अनुसार कीमत*			
	सनदी लेखाकार की मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत (*/**सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र जोड़ा जाए)			

अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणा

मैं/ हम एतद्वारा घोषित करता हूं/ करते हैं कि :

(i)	ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे/ हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही है
(ii)	मैं/हम फेरा/फेमा विनियमावली के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयर/ डिबेंचर धारित करता था/ करते थे ।
(iii)	मैं/हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार कंपनी के अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों शेयर के अधिग्रहण के लिए पात्र हूं/ हैं। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां के लिए सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, में संलग्न कंपनी के अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों से संबंधित अंतरण नहीं है।
(iv)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के अधीन सेक्टोरल सीमाओं का पालन किया गया है।

घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत

दिनांक : **प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर**

टिप्पणी: निवासी से अनिवासी को निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा अनिवासी से निवासी को अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ डिबेंचरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो ।

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है।

लेनदेन के लिए प्राप्ति/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक : प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम

प्राधिकृत व्यापारी कूट

संलग्नक 9-II

[भाग I, खंड V,पैरा2]

अनिवासी निवेशक के संबंध में अपने ग्राहक को जानने संबंधी सूचना प्रस्तुत करने वाला फॉर्म	विप्रेषक का पंजीकृत नाम/निवेशक का नाम(यदि वह व्यक्ति है)
पंजीकरण संख्या (यदि विप्रेषक व्यक्ति है तो यूनिक पहचान संख्या*)	
पंजीकरण पता(यदि विप्रेषक व्यक्ति है तो उसका स्थायी पता)	
विप्रेषक के बैंक का नाम	
विप्रेषक का बैंक खाता	
विप्रेषक के साथ बैंकिंग ताल्लुकात की अवधि	

*पासपोर्ट नं.,सोशल सिक्योरिटी नं. अथवा अन्य कोई यूनिक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि प्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही प्रेषक है ।

हम इसकी पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई ऊपर प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है ।

प्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक: स्थान:

मुहर

संलग्नक -10
[भाग-I,खंड-V , पैरा 5]

फॉर्म डीआर

[अनुसूची-I का पैराग्राफ 4(2) देखें]

जीडीआर/ एडीआर के निर्गम का प्रबंध करनेवाली भारतीय कंपनी द्वारा फाइल की जानेवाली विवरणी

अनुदेश : इस फार्म को पूरा भरकर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए।

1. कंपनी का नाम

2. पंजीकृत कार्यालय का पता

3. पत्राचार के लिए पता

4. वर्तमान कारोबार (उस कार्यकलाप का एनआइसी कूट दें जिसमें कंपनी मुख्य रूप से कार्यरत है)

5. जीडीआर/एडीआर उगाहने के प्रयोजन के ब्योरे। यदि निधियां समुद्रपारीय निवेश के लिए उपयोग की गई हों, तो उसके ब्योरे

6. विदेश की डिपाज़िटरी का नाम और पता

7. अग्रणी प्रबंधक/ निवेश/ मर्चेंट बैंकर का नाम और पता

8. निर्गम के उप-प्रबंधकों के नाम और पते

9. भारतीय अभिरक्षकों के नाम और पते

10. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के ब्योरे (अगर जीडीआर स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत जारी किए जाते हैं तो संबद्ध एनआइसी कूट कोट करें)

11. क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र क्षेत्रीय सीमा लागू है? अगर हां, तो कृपया ब्योरे दें

12. ईक्विटी पूंजी के ब्योरे	निर्गम से पहले	निर्गम के बाद
ए) प्राधिकृत पूंजी		
बी) निर्गमित तथा प्रदत्त पूंजी		
i) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित		

ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों/ अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ समुद्रपारीय निगमित निकायों को छोड़कर विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक धारित करनेवाले विदेशी निवेशकों की सूची तथा उनमें प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट की जाए)

iii) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी कंपनी निकायों द्वारा धारित

iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित

अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी

सी) कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी का प्रतिशत

13. क्या निर्गम निजी व्यवस्था के आधार पर था? अगर हां, तो निवेशकों तथा प्रत्येक को जारी एडीआर/ जीडीआर के ब्योरे दें

14. जारी जीडीआर/ एडीआर की संख्या

15. पर अंडरलाइंग शेयरों से जीडीआर/ एडीआर का अनुपात

16. <u>निर्गम से संबंधित खर्चे</u>

(ए) मर्चेंट बैंकरों/ अग्रणी प्रबंधक को अदा की गई/ देय शुल्क
   (i) राशि (अमरीकी डॉलर, आदि में)
   (ii) कुल निर्गम के प्रतिशत के तौर पर यह राशि

(बी) अन्य खर्चे

17. क्या निधियां विदेश में रखी गई हैं? अगर हां, तो बैंक का नाम और पता

18. सूचीबद्ध करने की व्यवस्था के ब्योरे

स्टॉक एक्स्चेंज का नाम

व्यापार (ट्रेडिंग) शुरू करने की तारीख

19. एडीआर/ जीडीआर निर्गम आरंभ करने की तारीख

20. उगाही गई राशि (अमरीकी डॉलर में)

21. प्रत्यावर्तित राशि (अमरीकी डॉलर में)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है।

ह./-
सनदी लेखाकार

ह./-
कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

संलग्नक -11
[भाग-I,खंड-I , पैरा 29]

फॉर्म डीआर- त्रैमासिक
[अनुसूची-I का पैराग्राफ 4(3) देखें]

तिमाही विवरणी

(भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत की जाए)

1. कंपनी का नाम
2. पता
3. जीडीआर/एडीआर निर्गम प्रारंभ करने की तारीख
4. जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल सं.
5. उगाही गई कुल राशि
6. तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज
7. निर्गम के खर्चे और कमीशन आदि
8. प्रत्यावर्तित राशि
9. विदेश में रखी गई शेष - ब्योरे
   (i) बैंक जमा राशियां
   (ii) खजाना बिल
   (iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें)
10. अब तक बकाया जीडीआर/एडीआर की संख्या
11. तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर की कीमत
12. तिमाही के अंत में समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई जीडीआर/एडीआर की कीमत

प्रमाणित किया जाता है कि जीडीआर/एडीआर द्वारा उगाही गई निधियों को शेयर मार्केट अथवा स्थावर संपदा में निवेश नहीं किया गया हैं।

ह./-
सनदी लेखाकार

ह./-
कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

परिशिष्ट

भारत में विदेशी निवेश/ अचल संपत्ति का अभिग्रहण / भारत में शाखा कार्यालय/ संपर्क और परियोजना कार्यालय खोलने तथा स्वामित्ववाली/ साझेदारी फर्मों में निवेश के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित महत्वपूर्ण <u>परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची</u>

क्रम सं.	अधिसूचना	दिनांक
1.	सं.फेमा 32/2000-आरबी	दिसंबर 26, 2000
2.	सं.फेमा 35/2001-आरबी	फरवरी 16, 2001
3.	सं.फेमा 41/2001-आरबी	मार्च 2, 2001
4.	सं.फेमा 45/2001-आरबी	सितंबर 20, 2001
5.	सं.फेमा 46/2001-आरबी	नवंबर 29, 2001
6.	सं.फेमा 50/2002-आरबी	फरवरी 20, 2002
7.	सं.फेमा 55/2002-आरबी	मार्च 7, 2002
8.	सं.फेमा 76/2002-आरबी	नवंबर 12, 2002
9.	सं.फेमा 85/2003-आरबी	जनवरी 17, 2003
10.	सं.फेमा 94/2003-आरबी	जून 18, 2003
11.	सं.फेमा 100/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
12.	सं.फेमा 101/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
13.	सं.फेमा 106/2003-आरबी	अक्तूबर 27, 2003
14.	सं.फेमा 108/2003-आरबी	जनवरी 1, 2004
15.	सं.फेमा 111/2004-आरबी	मार्च 6, 2004
16.	सं.फेमा 118/2004-आरबी	जून 29, 2004
17.	सं.फेमा 122/2004-आरबी	अगस्त 30, 2004
18.	सं.फेमा 125/2004-आरबी	नवंबर 27, 2004
19.	सं.फेमा 130/2005-आरबी	मार्च 17, 2005
20.	सं.फेमा 131/2005-आरबी	मार्च 17, 2005
21.	सं.फेमा 136/2005-आरबी	जुलाई 19, 2005
22.	सं.फेमा 137/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
23.	सं.फेमा 138/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
24.	सं.फेमा 149/2006-आरबी	जून 9, 2006
25.	सं.फेमा 153/2006-आरबी	31 मई 2007
26.	सं.फेमा 167/2007-आरबी	23 अक्तूबर 2007
27.	सं.फेमा 170/2007-आरबी	13 नवंबर 2007
28.	सं.फेमा 179/2008-आरबी	22 अगस्त 2008
29.	सं.फेमा 202/2009-आरबी	10 नवंबर 2009
30.	सं.फेमा 205/2010-आरबी	07 अप्रैल 2010
परिपत्र		

क्रम सं.	परिपत्र	दिनांक
1.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 14	26 सितंबर , 2000
2.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	जनवरी 6, 2001
3.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	फरवरी 22, 2001
4.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	अप्रैल 28, 2001
5.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	नवंबर 29, 2001
6.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	फरवरी 13, 2002
7.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	मार्च 11, 2002
8.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	नवंबर 12, 2002
9.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52	नवंबर 23, 2002
10.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	जनवरी 13, 2003
11.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.69	जनवरी 13, 2003
12.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	फरवरी 3, 2003
13.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.88	मार्च 27, 2003
14.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.101	मई 5, 2003
15.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	अगस्त 20, 2003
16.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	सितम्बर 1, 2003
17.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	सितम्बर 16, 2003
18.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	अक्तूबर 17, 2003
19.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	नवम्बर 14, 2003
20.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	दिसम्बर 3, 2003
21.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	दिसम्बर 3, 2003
22.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	दिसम्बर 8, 2003
23.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	दिसम्बर 8, 2003
24.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	दिसंबर 17, 2003
25.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	दिसम्बर 20, 2003
26.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.63	फरवरी 3, 2004
27.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.67	फरवरी 6, 2004
28.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.89	अप्रैल 24, 2004
29.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	सितंबर 13, 2004
30.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	अक्तूबर 1, 2004
31.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	अक्तूबर 1, 2004
32	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	अक्तूबर 4, 2004
33.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	जुलाई 29, 2005
34.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.06	अगस्त 11, 2005
35.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.07	अगस्त 17, 2005
36.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.08	अगस्त 25, 2005
37.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	अगस्त 30, 2005
38.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	सितंबर 05, 2005
39.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	नवंबर 11, 2005

40.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	जनवरी 25, 2006
41.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.4	जुलाई 28, 2006
42.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	नवंबर 16, 2006
43.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	दिसंबर 22, 2006
44.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	फरवरी 8, 2007
45.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	अप्रैल 20, 2007
46.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.62	24 मई, 2007
47.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	31 मई , 2007
48.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	8 जून 2007
49.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.74	8 जून 2007
50.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.2	19 जुलाई 2007
51.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	14 दिसंबर 2007
52.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.22	19 दिसंबर 2007
53.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	31 दिसंबर 2007
54.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	28 अप्रैल 2008
55.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	28 अप्रैल 2008
56.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	30 मई 2008
57.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	17 अक्तूबर 2008
58.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.63	22 अप्रैल 2009
59.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.05	22 जुलाई 2009
60.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47	12 अप्रैल 2010
61.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49	04 मई 2010
62.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	14 सितंबर 2010
63.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	15 मार्च 2011
64.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	29 अप्रैल 2011
65.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.55	29 अप्रैल 2011
66.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.57	2 मई 2011
67.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	2 मई 2011
68.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.74	30 जून 2011